A-1

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22022022-233645
CG-DL-E-22022022-233645

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 99] नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 21, 2022/फाल्गुन 2, 1943
No. 99] NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 21, 2022/PHALGUNA 2, 1943

राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 फरवरी, 2022

फा. सं. आरआरयू/यूआरओ/संविधि/2022/001 (अ).—राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2020 (2020 का 31) की धारा 37 की उप-धारा (1) के साथ धारा 36 द्वारा प्रदत्त प्राधिकार का प्रयोग करते हुए, शासी निकाय, केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन के मध्यम से निम्नलिखित प्रथम संविधि पेश करता है, अर्थात्: -

1. **संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ। – (1)** इन कानूनों को राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय, 2022 का प्रथम संविधि कहा जा सकता है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. **परिभाषाएं। –** (1) इन प्रथम संविधियों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(a) "अधिनियम" का अर्थ है राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2020, (2020 का 31);

(b) "अध्यक्ष" का अर्थ अधिनियम की उप-धारा (3) के तहत नियुक्त शासी निकाय के अध्यक्ष से है; तथा

(c) "निदेशक" का अर्थ इन विधियों में निर्धारित तरीके से नियुक्त स्कूल के निदेशक या प्रमुख से है।

24.1.23.
(वाहेंबम हिटलर मैतै)
(WAHENGBAM HITLER MEITEI)
अवर सचिव
Under Secretary
गृह मंत्रालय/MHA

(2) इन प्रथम संविधियों में प्रयुक्त शब्दों और अभिव्यक्तियों का, जो परिभाषित नहीं हैं, लेकिन अधिनियम में परिभाषित हैं, उनका वही अर्थ होगा, जो उन्हें अधिनियम में दिया गया है।

3. **शासी निकाय का प्राधिकार और कार्य** – (1) अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, शासी निकाय, -

(a) समय-समय पर संशोधित केंद्र सरकार के मानदंडों के अनुसार अधिकारियों, शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों के लिए पेंशन, भविष्य निधि और चिकित्सा लाभ, बीमा, छुट्टी यात्रा रियायत, अवकाश नियम और अन्य रोजगार लाभ के प्रावधान राष्ट्रीय महत्व के अन्य समान रूप से रखे गए संस्थानों के समान और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के लागू नियमों के अनुसार निर्धारित कर सकते हैं;

(b) भारत और विदेशों में परिसरों और केंद्रों की स्थापना;

(c) स्कूल, विभाग और केंद्र स्थापित करना;

(d) संबंधित कॉलेज या संस्थान और प्रासंगिक क्षेत्रों में मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना;

(e) समय-समय पर जारी केंद्र सरकार के आदेशों के अधीन पदों का सृजन;

(f) विश्वविद्यालय की सभी डिग्री, डिप्लोमा और प्रमाणपत्रों के लिए अध्ययन पाठ्यक्रम निर्धारित करना;

(g) डिग्री, डिप्लोमा, प्रमाण पत्र और अन्य विशिष्टताओं जैसे अकादमिक पुरस्कार प्रदान करना;

(h) फैलोशिप, छात्रवृत्तियां, विद्यार्थीवस्था, पदक, पुरस्कार और उनकी शर्तों का निर्धारण;

(i) विभिन्न स्कूलों, विभागों और केंद्रों में अकादमिक कर्मचारियों की संयुक्त नियुक्ति करके अंतःविषय अनुसंधान को बढ़ावा देना;

(j) विश्वविद्यालय के अध्ययन पाठ्यक्रमों और परीक्षाओं, डिग्री, डिप्लोमा और प्रमाणपत्रों में प्रवेश हेतु लिए जाने वाले शुल्क ढांचे के संबंध में दिशा-निर्देश और नीति बनाना;

(k) अधिनियम की धारा 7 की उप-धारा (2) के प्रावधानों के अधीन विश्वविद्यालय की ओर से किसी चल या अचल संपत्ति का हस्तांतरण या हस्तांतरण स्वीकार करना;

(l) विश्वविद्यालय के कार्य को करने के लिए आवश्यक भवन, परिसर, फर्नीचर, उपकरण और अन्य साधन उपलब्ध कराना;

(m) विश्वविद्यालय की ओर से अनुबंधों में प्रवेश करना, उनमें बदलाव करना, उन्हें पूरा करना और रद्द करना;

(n) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों और छात्रों की किसी भी शिकायत को सुनना, निर्णय लेना;

(o) विश्वविद्यालय के लिए एक सामान्य मुद्रा का चयन और ऐसी मुहर की अभिरक्षा और उपयोग का प्रावधान;

(p) विजिटिंग प्रोफेसर, एमेरिटस प्रोफेसर, अध्यक्ष और सलाहकारों को नियुक्त करना और ऐसी नियुक्तियों के नियमों और शर्तों को निर्धारित करना;

(q) जानकारी की प्रगति के लिए उद्योग और अन्य गैर-सरकारी एजेंसियों के साथ साझेदारी में प्रवेश करना;

(r) सहायक प्रोफेसर और उससे ऊपर के पद पर प्रो-वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार, वित्त अधिकारी और अकादमिक स्टाफ की नियुक्ति करना और समूह 'ए' और उससे ऊपर के किसी भी पद पर सभी गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों को नियुक्त करना;

(s) विश्वविद्यालय के प्राधिकरण या समिति के किसी अधिकारी को पद सृजित करने के अधिकार के अलावा, कुलपति, प्रतिकुलपति, डीन, रजिस्ट्रार या विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या किसी समिति को या विश्वविद्यालय के किसी अन्य अधिकारी या कर्मचारी को उचित रूप से, शासी निकाय के एक अलग संकल्प के माध्यम से अपना कोई भी अधिकार सौंपना:

बशर्ते कि ऐसी प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग करते हुए ऐसे अधिकारी या प्राधिकरण या समिति द्वारा लिए गए किसी भी निर्णय को शासी निकाय के समक्ष उसकी अगली बैठक में रखा जाएगा।

(2) खंड (1) के अलावा, शासी निकाय अन्य सभी प्राधिकार और कार्यों का भी प्रयोग करेगा, जैसा कि अध्यादेशों द्वारा प्रदान किया जा सकता है, लेकिन ऐसा कोई अध्यादेश निवास, स्वास्थ्य, अनुशासन, प्रवेश की स्थिति, अकादमिक परिषद से परामर्श के बिना छात्रों का नामांकन, नियुक्तियों का तरीका, परीक्षकों के कर्तव्य, परीक्षा का संचालन और मानक या अध्ययन के कोई भी पाठ्यक्रम को प्रभावित करने वाला नहीं बनाया जाएगा।

4. **कार्यकारी परिषद।** – (1) एक कार्यकारी परिषद होगा जिसमें अधिकतम बारह सदस्य होंगे जो निम्नानुसार होंगे-

(a) कुलपति, अध्यक्ष, पद के अनुसार,

(b) गृह मंत्रालय का एक प्रतिनिधि, जो उप सचिव, सदस्य, पद के नीचे ना हो;

(c) किसी भी केंद्रीय विश्वविद्यालय से एक प्रतिनिधि जो कुलपति के पद से कम न हो या राष्ट्रीय महत्व के किसी अन्य संस्थान (आईएनआई) का हो जो आईएनआई के निदेशक के पद से नीचे का न हो;

(d) सुरक्षा के क्षेत्र में सुरक्षा, सुरक्षा अनुसंधान और विकास या विनिर्माण से संबंधित उद्योग या कॉर्पोरेट संगठन का एक प्रतिनिधि, जो बोर्ड निदेशक के पद से नीचे का न हो;

(e) केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल का एक प्रतिनिधि, जो महानिरीक्षक के पद से नीचे का न हो, जिसे गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नामित किया जाएगा;

(f) पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो का एक प्रतिनिधि, जो महानिरीक्षक के पद से नीचे का न हो; पद के अनुसार;

(g) प्रो वाइस चांसलर, सदस्य, पद के अनुसार,

(h) डीन, सदस्य, पद के अनुसार;

(i) विश्वविद्यालय के स्कूलों से कुलपति द्वारा नामित रोटेशन के आधार पर स्कूल का एक निदेशक- सदस्य, पद के अनुसार; तथा

(j) गुजरात सरकार के एक प्रतिनिधि सदस्य सहित शासी निकाय द्वारा नामित तीन शासी निकाय के सदस्य अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (2) के खंड (ई) में संदर्भित हैं।

(2) कुलपति, शासी निकाय के विचार के लिए, केंद्रीय विश्वविद्यालय या राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों के प्रतिनिधि और उद्योग या कॉर्पोरेट संगठन के प्रतिनिधि के नामांकन के लिए तीन नामों के एक पैनल की सिफारिश करेंगे।

(3) पदेन सदस्यों को छोड़कर, कार्यकारी परिषद के सदस्यों का कार्यकाल तीन साल के लिए होगा और शासी निकाय द्वारा इसे तीन साल की एक और अवधि के लिए नवीनीकृत किया जा सकता है।

(4) कार्यकारी परिषद का कोई सदस्य कुलपति को लिखित रूप में अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है और ऐसा त्यागपत्र उस तारीख से प्रभावी होगा जिस दिन कुलपति द्वारा इसे स्वीकार किया जाता है।

5. **कार्यकारी परिषद की बैठक** – (a) कार्यकारी परिषद एक शैक्षणिक वर्ष में कम से कम दो बार बैठक करेगी।

(b) कार्यकारी परिषद की बैठकें आमतौर पर कुलपति द्वारा या तो उनके प्रस्ताव पर या कार्यकारी परिषद के कम से कम तीन सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित अनुरोध पर बुलाई जाएंगी।

(c) कुलपति की अनुपस्थिति में कुलपति द्वारा नामित कोई अन्य सदस्य बैठक की अध्यक्षता करेगा।

(d) कुलपति सहित सदस्यों की कुल संख्या का एक तिहाई, व्यक्तिगत उपस्थिति या वीडियो-कॉन्फ्रेंस या टेली-कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक के लिए निर्दिष्ट संख्या होंगे।

(e) कार्यकारी परिषद की बैठकों में विचार किए गए सभी मामलों का निर्णय उपस्थित सदस्यों के मतों के बहुमत के आधार पर किए जाएंगे और यदि मत समान रूप से विभाजित होते हैं, तो कुलपति के पास निर्णायक मत होगा।

(f) (i) बैठक की तारीख से कम से कम पन्द्रह कार्य दिवस पहले रजिस्ट्रार द्वारा प्रत्येक सदस्य को कार्यकारी परिषद की बैठक की लिखित सूचना भेजी जाएगी और नोटिस में बैठक का स्थान, तारीख और समय बताया जाएगा।

(ii) नोटिस पंजीकृत डाक या फैक्स या ईमेल द्वारा विश्वविद्यालय में दर्ज प्रत्येक सदस्य के पते पर दिया जा सकता है और अगर इसे ऐसा भेजा जाता है, तो इसे वितरित माना जाएगा।

(g) अत्यावश्यक मामलों पर विचार करने के लिए, कुलपति या तो अल्प सूचना पर कार्यकारी परिषद की बैठक बुला सकते हैं या मामले पर परिसंचरण के माध्यम से विचार कर सकते हैं।

(h) बैठक का एजेंडा बैठक से कम से कम सात कार्य दिवस पहले रजिस्ट्रार द्वारा सदस्यों को परिचालित किया जाएगा:

बशर्ते कि, किसी भी आकस्मिक मामले के लिए, जो कार्यसूची में शामिल नहीं है, इसे अध्यक्ष के अनुमोदन से विचार के लिए लिया जा सकता है।

(i) बैठक के संचालन की प्रक्रिया से संबंधित सभी मामलों के संबंध में कुलपति का निर्णय अंतिम होगा।

(j) बैठक की कार्यवाही के कार्यवृत्त को अध्यक्ष के अनुमोदन से रजिस्ट्रार द्वारा तैयार किया जाएगा और सभी सदस्यों को परिचालित किया जाएगा, इसे विशेषतः सात कार्य दिवसों की अवधि के भीतर, उनकी टिप्पणियों के लिए और यदि प्राप्ति के दस दिनों के भीतर कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं होती है, तो इसे अंतिम माना जाएगा।

(k) कार्यवृत्त में बैठक में उपस्थित सदस्यों के नाम और सदस्यों के नाम, यदि कोई हों, इस तरह की असहमति के आधार के साथ-साथ प्रस्तावों से असहमति के आधार शामिल होंगे।

(l) अध्यक्ष, उस पर प्राप्त किसी भी टिप्पणी को ध्यान में रखते हुए, कार्यवृत्त की पुष्टि और हस्ताक्षर कर सकते हैं।

6. **कार्यकारी परिषद का प्राधिकार और कार्य –** (1). अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, कार्यकारी परिषद के पास निम्नलिखित अधिकार और कार्य होंगे, अर्थात्: -

(i) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और इन संविधियों के लागू नियमों के अनुसार पुस्तकालयाध्यक्ष, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, सहायक प्रोफेसर और शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के अन्य सदस्यों की नियुक्ति के लिए संबंधित शासी निकाय का चयन समिति की सिफारिशों पर:

बशर्ते कि कार्यकारी परिषद शिक्षकों की नियुक्ति के लिए शैक्षणिक परिषद की संख्या, योग्यता और परिलब्धियोंउपलब्धियों के संबंध में सिफारिश पर विचार किए बिना अपनी सिफारिशों को शासी निकाय को अग्रेषित नहीं करेगी:

परन्तु यह और कि किसी भी दशा में विश्वविद्यालय में अधिसंख्य पदों की संख्या कुल पदों के पांच प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

(ii) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और इन संविधियों के लागू विनियमों के अनुसार गैर-शैक्षणिक पदों, संख्या और उपलब्धियों और ऐसे पदों के लिए भर्ती के तरीके के सृजन के लिए शासी निकाय को सिफारिश करना;

(iii) शासी निकाय को कैडर, भर्ती के तरीकों और कर्मचारियों की सेवा की शर्तों, छात्रवृत्ति और फेलोशिप की संस्था, शुल्क लगाने और सामान्य हित के अन्य मामलों की सिफारिश करना, जैसा कि अध्यादेश में निर्धारित किया जा सकता है;

(iv) शासी निकाय द्वारा अनुमोदित प्रक्रिया के अनुसार विश्वविद्यालय के वित्त, खातों, निवेश, संपत्ति, व्यवसाय और अन्य सभी प्रशासनिक मामलों का प्रबंधन और विनियमन करना;

(v) विश्वविद्यालय की निधि से संबंधित किसी भी धन को, किसी भी अधिशेष निधि सहित, ऐसे स्टॉक, फंड, शेयर या प्रतिभूतियों में निवेश करना, जैसा कि केंद्र सरकार के अनुमोदन से तय किया जा सकता है;

(vi) इस तरह के अन्य प्राधिकार का प्रयोग करने के लिए और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करने के लिए जो इन संविधि या अध्यादेश के तहत या समय-समय पर प्रभावित होने वाले परिवर्तनों को शासी निकाय के अनुमोदन से प्रदान या लगाए जा सकते हैं;

(vii) नए या संशोधित शैक्षणिक कार्यक्रम और पाठ्यक्रम के लिए शासी निकाय के प्रस्ताव की सिफारिश करना और उनके कामकाज की निगरानी करना;

(viii) शासी निकाय द्वारा शक्ति के प्रत्यायोजन के अधीन, कार्यकारी परिषद उप-समितियों का गठन कर सकती है, अपने सदस्यों की नियुक्ति कर सकती है और अपने प्राधिकार निर्धारित कर सकती हैं जो समग्र रूप से कार्यकारी परिषद के प्राधिकार के बराबर या उससे अधिक नहीं होंगी;

(ix) नए संस्थानों, स्कूलों, विभागों, उच्च शिक्षा संस्थानों, नए कॉलेज की संबद्धता, अनुसंधान और विश्वविद्यालय में विशेष अध्ययन, ज्ञान संसाधन केंद्र, शैक्षणिक सेवा इकाइयों, पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओं और संग्रहालयों आदि की स्थापना के लिए शासी निकाय को सिफारिश करना।

(x) किसी संस्थान को संबद्ध कॉलेज के रूप में मान्यता देने के लिए नीति और दिशा-निर्देशों को निर्दिष्ट करने वाले शासी निकाय, अध्यादेशों की सिफारिश करना;

(xi) शासी निकाय, नीति और ढांचागत पहलों की सिफारिश करने के लिए जो विश्वविद्यालय के शैक्षणिक, अनुसंधान, प्रशिक्षण, नवाचार, इन्क्यूबेशन, सार्वजनिक-निजी भागीदारी प्रोफ़ाइल पर असर डालते हैं;

(2) खंड (1) में निहित होने के बावजूद, आकस्मिक मामलों में, कुलपति कार्यकारी परिषद के प्राधिकार का प्रयोग कर सकते हैं और अनुसमर्थन के लिए कार्यकारी परिषद की अगली बैठक में लिए गए निर्णयों की रिपोर्ट कर सकते हैं।

7. **अकादमिक परिषद की बैठक** – (1) अकादमिक परिषद की बैठक एक शैक्षणिक वर्ष में कम से कम दो बार होगी।

(2) अकादमिक परिषद की बैठकें आमतौर पर कुलपति द्वारा या तो उनके प्रस्ताव पर या अकादमिक परिषद के कम से कम तीन सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित अनुरोध पर बुलाई जाएंगी।

(3) कुलपति, या उसकी अनुपस्थिति में, कुलपति द्वारा नामित अकादमिक परिषद का कोई सदस्य अकादमिक परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेगा।

(4) कोई अत्यावश्यक कार्रवाई आवश्यक है, तो कुलपति, अकादमिक परिषद के सदस्यों के बहुमत के अनुमोदन से, अकादमिक परिषद के सदस्यों के बीच परिचालन द्वारा कार्य करने की अनुमति दे सकता है।

(5) (i) बैठक की तारीख से कम से कम पन्द्रह कार्य दिवस पहले रजिस्ट्रार द्वारा प्रत्येक सदस्य को बैठक की लिखित सूचना भेजी जाएगी और नोटिस में बैठक का स्थान, तारीख और समय बताया जाएगा।

(ii) नोटिस पंजीकृत डाक या फैक्स या ईमेल द्वारा विश्वविद्यालय में दर्ज प्रत्येक सदस्य के पते पर दिया जा सकता है और अगर इसे ऐसा भेजा जाता है, तो इसे वितरित माना जाएगा।

(6) कुलपति या उनके नामिती सहित नियुक्त सदस्यों की कुल संख्या का एक तिहाई, व्यक्तिगत उपस्थिति या वीडियो कॉन्फ्रेंस या टेलीकांफ्रेंस के माध्यम से, एक बैठक के लिए कोरम (निर्दिष्ट संख्या) का निर्माण करेगा।

(7) इसमें ऊपर निहित किसी भी बात के होते हुए भी, अत्यावश्यक मामलों पर विचार करने के लिए, कुलपति एक संक्षिप्त सूचना पर अकादमिक परिषद की बैठक बुला सकते हैं या मामले पर संचलन द्वारा विचार कर सकते हैं और संबंधित सभी मामलों में कुलपति का निर्णय अंतिम होगा।

(8) बैठक की कार्यवाही के कार्यवृत्त को अध्यक्ष के अनुमोदन से रजिस्ट्रार द्वारा तैयार किया जाएगा और सभी सदस्यों को परिचालित किया जाएगा, इसे विशेषतः सात कार्य दिवसों की अवधि के भीतर, उनकी टिप्पणियों के लिए और यदि प्राप्ति के दस दिनों के भीतर कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं होती है, तो इसे अंतिम माना जाएगा।

(9) कार्यवृत्त में बैठक में उपस्थित सदस्यों के नाम और सदस्यों के नाम होंगे जो इस तरह की असहमति के आधार के साथ-साथ प्रस्तावों से असहमति के आधार शामिल होंगे।

(10) अध्यक्ष, उस पर प्राप्त किसी भी टिप्पणी को ध्यान में रखते हुए, कार्यवृत्त की पुष्टि और हस्ताक्षर कर सकते हैं।

8. **अकादमिक परिषद का प्राधिकार और कार्य.**-अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, अकादमिक परिषद के पास निम्नलिखित अधिकार और कार्य होंगे, अर्थात्:

(1) शासी निकाय या कार्यकारी परिषद द्वारा निर्दिष्ट या उसे सौंपे गए किसी भी मामले पर रिपोर्ट करने के लिए;

(2) विश्वविद्यालय की शैक्षणिक नीतियों को निर्दिष्ट करने के लिए और विश्वविद्यालय में शिक्षा, शिक्षा और मूल्यांकन के मानकों के रखरखाव और सुधार के लिए जिम्मेदार होगा;

(3) सामान्य शैक्षणिक हित के मामलों पर या तो अपनी पहल पर या विश्वविद्यालय के संकाय या शासी निकाय के संदर्भ पर विचार करना और उस पर उचित कार्रवाई करना;

(4) विश्वविद्यालय में शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक पदों के सृजन, उन्मूलन या वर्गीकरण और योग्यता, उपलब्धियों और उनसे जुड़े कर्तव्यों के संबंध में कार्यकारी परिषद को सिफारिशें करना;

(5) शैक्षणिक कार्यक्रम और पाठ्यक्रम को मंजूरी देना, उनकी सामग्री और उसके किसी भी बदलाव को मंजूरी और उनके आचरण की निगरानी करना;

(6) संकाय, स्कूल, केंद्रों या विशेष संस्थानों के संगठन के लिए योजनाओं को तैयार, संशोधित या समीक्षा करने के लिए, और उन्हें अपने संबंधित विषयों को सौंपने के लिए और कार्यकारी परिषद को किसी भी संकाय, स्कूल को बंद करने या बदलने या विलय करने के लिए अपनी सिफारिश देने के लिए, केंद्र या विशेष संस्थान और अंतिम निर्णय के लिए मामले को शासी निकाय के समक्ष रखना;

(7) योग्यता आधारित, उचित प्रवेश मानदंड के लिए कार्यकारी परिषद, अध्यादेशों को प्रस्तावित करने और इसके कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए;

(8) कार्यकारी परिषद को प्रस्तावित करने के लिए, विश्वविद्यालय की परीक्षा समिति का गठन करना;

(9) विश्वविद्यालय में नामांकित व्यक्तियों के अलावा अन्य व्यक्तियों की शिक्षा और परीक्षा के तरीके के लिए अध्यादेश द्वारा व्यवस्था करना;

(10) अनुसंधान को बढ़ावा देना और उनके रिपोर्ट प्राप्त करना;

(11) अन्य विश्वविद्यालय और संस्थानों के डिप्लोमा और डिग्री को मान्यता देने और विश्वविद्यालय के डिप्लोमा और डिग्री के संबंध में उनकी समकक्षता निर्धारित करने के लिए नीति निर्धारित करना;

(12) परीक्षकों की नियुक्ति और नियुक्ति की प्रक्रिया, उनकी फीस, उपलब्धियों और यात्रा और अन्य खर्चों के निर्धारण के संबंध में कार्यकारी परिषद को सिफारिश करना;

(13) परीक्षाओं के आयोजन की व्यवस्था करना और ऐसी परीक्षाओं के आयोजन की तिथियां नियत करना;

(14) परीक्षाओं के परिणाम घोषित करना, या ऐसे परिणाम की घोषणा के लिए समितियों या अधिकारियों की नियुक्ति करना, और डिग्री, सम्मान, डिप्लोमा, प्रमाण पत्र, उपाधि और सम्मान प्रदान करना या प्रदान करने के संबंध में सिफारिश करना; तथा

(15) शैक्षणिक, अनुसंधान, विस्तार और प्रशिक्षण मामलों के संबंध में, ऐसे सभी कर्तव्यों का पालन करना और ऐसे सभी कार्य करना जो अधिनियम और इन संविधियों के प्रावधानों को पूरा करने के लिए आवश्यक हो।

9. **वित्त समिति का गठन और बैठक-** (1) वित्त समिति का गठन निम्नानुसार होगा-

(a) कुलपति, अध्यक्ष, पद के अनुसार,

(b) वित्त अधिकारी, सदस्य, पद के अनुसार;

(c) आंतरिक वित्त प्रभाग, गृह मंत्रालय का एक प्रतिनिधि, जो उप सचिव, सदस्य, पद के नीचे ना हो;

(d) शासी निकाय द्वारा नामित शासी निकाय से एक सदस्य, सदस्य;

(e) एक प्रमुख केंद्रीय विश्वविद्यालय या संस्थान से एक वित्त अधिकारी या समकक्ष, जिसे कुलपति, सदस्य द्वारा नामित किया जा सकता है; तथा

(f) सचिव, सड़क और भवन विभाग, गुजरात सरकार या उनके नामित व्यक्ति जो संयुक्त सचिव, सदस्य, के पद से नीचे के पद पर न हों;

(g) डीन या कुलपति द्वारा नामित कोई प्रोफेसर, सदस्य।

(2) वित्त समिति की बैठक एक शैक्षणिक वर्ष में कम से कम दो बार होगी।

(3) वित्त समिति की बैठक अध्यक्ष द्वारा या तो उसके प्रस्ताव पर या वित्त अधिकारी के अनुरोध पर या समिति के कम से कम तीन सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित मांग पर बुलाई जा सकती है:

परन्तु कुलपति अतिआवश्यक मामलों पर विचार करने के लिए अल्प सूचना पर समिति की बैठक बुला सकते हैं।

(4) तीन सदस्य, जिनमें कम से कम एक ऐसा सदस्य शामिल है, जो विश्वविद्यालय का कर्मचारी नहीं है, बैठक के लिए निर्दिष्ट संख्या पूरी करेगा।

(5) बैठकों के संचालन की प्रक्रिया से संबंधित सभी मामलों के संबंध में कुलपति का निर्णय अंतिम होगा।

(6) (i) वित्त समिति की बैठक की कार्यवाही का कार्यवृत्त वित्त अधिकारी द्वारा तैयार किया जाएगा और समिति के सभी सदस्यों को परिचालित किया जाएगा।

(ii) कार्यवृत्त की पुष्टि के बाद, कार्यवृत्त पर कुलपति द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे और इसे वित्त समिति के संकल्प के रूप में समझा जाएगा।

(7) वित्त समिति के सभी आदेश और निर्णय वित्त अधिकारी के हस्ताक्षर से प्रमाणित होंगे।

(8) वित्त समिति की बैठकों में विचार किए गए सभी मामलों का निर्णय उपस्थित सदस्यों के मतों के बहुमत के आधार पर किए जाएंगे और यदि मत समान रूप से विभाजित होते हैं, तो कुलपति के पास निर्णायक मत होगा।

10. **वित्त समिति का प्राधिकार और कार्य** - अधिनियम और इन संविधि में अन्यथा उपबंधित के अलावा, वित्त समिति के पास निम्नलिखित प्राधिकार और कार्य होंगे, अर्थात्: -

(a) समय-समय पर विश्वविद्यालय की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करना और संसाधन जुटाना, प्राप्तियों और व्यय के प्रस्तावों पर अपनी सिफारिशों के साथ शासी निकाय को अवगत कराना;

(b) अधिशेष निधि के निवेश के लिए कार्यकारी समिति को सिफारिश करना;

(c) उन सभी प्रस्तावों पर शासी निकाय को सिफारिश करना जिनमें व्यय शामिल है जिसके लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है या जिसके लिए बजट में प्रदान की गई राशि से अधिक व्यय करने की आवश्यकता है;

(d) विश्वविद्यालय से संबंधित किसी भी वित्तीय नीति या मामलों पर अपने विचार प्रदान करना और शासी निकाय को स्वयं या कुलपति की सलाह पर अपनी सिफारिशें देना;

(e) शासी निकाय के विचार और अनुमोदन के लिए विश्वविद्यालय के विभिन्न अधिकारियों द्वारा प्रयोग की जाने वाले वित्तीय अधिकार के प्रत्यायोजन पर सिफारिश देना;

(f) पदों के सृजन, वेतनमान में संशोधन, वेतन के उन्नयन और उन मदों से संबंधित सभी प्रस्तावों की जांच करना जिन्हें शासी निकाय द्वारा विचार किए जाने से पहले बजट में शामिल नहीं किया गया है और वार्षिक खातों और वित्तीय अनुमानों पर वित्त अधिकारी द्वारा तैयार किए गए विश्वविद्यालय को इसके विचार के लिए शासी निकाय के समक्ष रखे जाने से पहले विचार करना;

(g) अधिनियम की धारा 32 के प्रावधानों के अनुसार विश्वविद्यालय के वार्षिक खातों की लेखा परीक्षा करवाना; तथा

(h) अन्य सभी अधिकारों का प्रयोग करना और ऐसे अन्य कार्य करना जो शासी निकाय या संविधियों या अध्यादेशों द्वारा उसे प्रदान किए जाएं।

11. **भवन और निर्माण समिति का संविधान, प्राधिकरण और कार्य** - (1) विश्वविद्यालय के लिए एक भवन एवं निर्माण समिति होगी।

(2) कार्यकारी परिषद समय-समय पर शासी निकाय द्वारा अनुमोदित सभी प्रमुख पूंजीगत कार्यों के निष्पादन के लिए शासी निकाय, भवन और निर्माण समिति (समिति) के गठन की सिफारिश कर सकता है।

(3) भवन एवं निर्माण समिति के पास इस प्रयोजन हेतु विश्वविद्यालय के व्ययन में दिये गये अनुदान के अंतर्गत भवन, अनुरक्षण एवं मरम्मत से संबंधित कार्यों के निष्पादन हेतु आवश्यक प्रशासनिक स्वीकृति एवं व्यय स्वीकृति पारदर्शी तरीके से देने का अधिकार होगा, यह केंद्र सरकार के आदेशों और समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप होगा।

(4) समिति भवनों और अन्य पूंजीगत कार्यों, छोटे कार्यों, मरम्मत, रखरखाव, तकनीकी जांच, उपयुक्त ठेकेदारों की सूची बनाने और निविदाओं की स्वीकृति के लिए सरकारी एजेंसियों द्वारा विधिवत जांच की गई लागत अनुमान तैयार करेगी और ऐसे मामलों में, इसे केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के मैनुअल और दरों की अनुसूची और समय-समय पर संशोधित अन्य सरकारी दिशानिर्देशों द्वारा निर्देशित किया जाएगा।

(5) समिति निविदा के दायरे में नहीं आने वाली दरों का निपटारा करेगी और ठेकेदारों के साथ दावों और विवादों का निपटारा करेगी और जहां आवश्यक हो वहां कार्यों के लिए निर्देश देने का अधिकार होगा।

(6) समिति विश्वविद्यालय के लिए भवनों के निर्माण और भूमि के विकास के मामले में ऐसे अन्य कार्य करेगी जो शासी निकाय उसे समय-समय पर सौंप सकता है।

12. **विश्वविद्यालय के प्राधिकरण के सदस्यों का कार्यकाल।** - (1) विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकरण का सदस्य सदस्य नहीं रहेगा अगर, -

(a) वह अपना इस्तीफा दे देता है और ऐसा इस्तीफा स्वीकार कर लिया जाता है;

(b) वह विकृत चित्त हो जाता है और सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया जाता है; या

(c) वह अमुक्त दिवालिया या गबन करने वाला हो जाता है; या

(d) उसे नैतिक अधमता से जुड़े अपराध का दोषी ठहराया गया है;

(e) हितों का टकराव स्थापित हुआ है।

(2) अगर कोई प्रश्न उठता है कि क्या कोई व्यक्ति खंड (1) के तहत किसी भी स्थिति के अधीन है या किया गया है, तो प्रश्न को शासी निकाय के अध्यक्ष के पास भेजा जाएगा, जिसका निर्णय अंतिम होगा।

(3) इन संविधियों में किसी बात के होते हुए भी, कोई व्यक्ति जो विश्वविद्यालय में कोई पद धारण करता है या विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या निकाय का सदस्य है जो ऐसे प्राधिकरण या निकाय के सदस्य के रूप में या किसी विशेष नियुक्ति के धारक के रूप में है, ऐसे पद या सदस्यता को केवल उस समयावधि के लिए धारण करेगा जब तक कि वह उस विशेष प्राधिकरण या निकाय का सदस्य या उस विशेष नियुक्ति का धारक, जैसा भी मामला हो, बना रहता है।

13. **कुलपति की नियुक्ति-**(1) अधिनियम की धारा 22 के प्रावधानों के अधीन, इस संविधि के तहत केंद्र सरकार द्वारा गठित खोज-सह-चयन समिति द्वारा अनुशंसित पैनल में से कुलपति की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी।

(2) अधिनियम में निर्धारित योग्यता के अलावा, केवल ऐसे व्यक्तियों पर विचार किया जाएगा जिन्होंने नियुक्ति की तारीख को सत्तर वर्ष की आयु पूरी नहीं की है, उनके हितों का कोई टकराव नहीं है, और कुलपति के रूप में दो कार्यकाल पूरे नहीं किए हैं, उन पर विचार किया जाएगा।

(3) नियुक्ति प्रक्रिया वर्तमान पदधारी के कार्यकाल के पूरा होने से कम से कम छह महीने पहले शुरू होगी और वर्तमान पदधारी के कार्यकाल के पूरा होने से तीस दिन पहले पूरी की जाएगी।

(4) (i) केंद्र सरकार द्वारा गठित की जाने वाली एक खोज-सह-चयन समिति होगी, जिसमें शिक्षाविद, वैज्ञानिक, प्रशासन, न्यायपालिका, टेक्नोक्रेट, पुलिस और प्रबंधन विशेषज्ञों में से चुने गए पांच प्रतिष्ठित व्यक्ति शामिल होंगे।

(ii) खोज-सह-चयन समिति तीन नामों के एक पैनल की सिफारिश करेगी, जिनके पास उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत के निर्णय के आधार पर अधिनियम की धारा 22 की उप-धारा (1) में प्रदान

की गई योग्यताएं हैं, और खोज-सह-चयन समिति की बैठक के लिए निर्धारित संख्या समिति के सदस्यों के दो तिहाई से होगी।

(iii) नाम की सूची खोज-सह-चयन समिति द्वारा गृह सचिव, गृह मंत्रालय को प्रस्तुत किया जाएगी।

(5) कुलपति अपने पद ग्रहण करने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे और आगे की अवधि के लिए पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होंगे लेकिन उनकी उम्र सत्तर वर्ष की आयु से अधिक नहीं होनी चाहिए:

बशर्ते कि केंद्र सरकार आदेश द्वारा कुलपति को उनकी अवधि समाप्त होने के बाद, उस अवधि के लिए पद पर बने रहने के लिए निर्देश दे सकती है जो उस आदेश में केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित की जा सकती है।

14. कुलपति का वेतन, पात्रता, लाभ और सेवा की अन्य शर्तें -(a)कुलपति विश्वविद्यालय के पूर्णकालिक वेतनभोगी अधिकारी होंगे।

(b) (i) कुलपति को समय-समय पर संशोधित राष्ट्रीय महत्व के अन्य समान रूप से नियुक्त संस्थानों और लागू विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियमों के समान मासिक वेतन, अन्य भत्ते और अनुलाभ का भुगतान किया जाएगा।

(ii) कुलपति किराए के भुगतान के बिना आवासीय आवास का उपयोग करने के लिए हकदार होंगे, जिसमें शासी निकाय द्वारा अनुमोदित ऐसी सीमाओं के अधीन फर्निशिंग और नवीनीकरण का प्रावधान होगा।

(iii) ऐसे आवास के रखरखाव के संबंध में कुलपति पर कोई प्रभार नहीं होगा और सभी साज-सामान और जुड़नार विश्वविद्यालय की संपत्ति होंगे।

(c) कुलपति केंद्र सरकार के मानदंडों या समय-समय पर संशोधित राष्ट्रीय महत्व के अन्य समान संस्थानों के अनुसार चिकित्सा उपस्थिति और उपचार के संबंध में विशेषाधिकार के लिए पात्र होंगे।

(d) कुलपति ऐसे अन्य आवधिक लाभों और भत्तों के हकदार होंगे, जो समय-समय पर संशोधित राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों और लागू विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियमों के समान शासी निकाय द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं:

बशर्ते कि जहां विश्वविद्यालय या कॉलेज या संस्थान द्वारा संचालित या विश्वविद्यालय से संबद्ध या किसी अन्य विश्वविद्यालय या ऐसे अन्य विश्वविद्यालय द्वारा संचालित या संबद्ध किसी भी संस्थान के किसी कर्मचारी को कुलपति के रूप में नियुक्त किया जाता है, तो उसे अनुमति दी जा सकती है किसी भी भविष्य निधि में अंशदान करना जारी रखेंगे, जिसका वह सदस्य है और विश्वविद्यालय उस भविष्य निधि में ऐसे व्यक्ति के खाते में उसी दर से अंशदान करेगा जिस दर पर वह व्यक्ति कुलपति के रूप में अपनी नियुक्ति से ठीक पहले अंशदान कर रहा था:

इसके अलावा कि जहां ऐसा कर्मचारी किसी पेंशन योजना का सदस्य रहा हो, वहां विश्वविद्यालय ऐसी योजना के लिए आवश्यक अंशदान करेगा।

(e) कुलपति, समय समय पर संशोधित राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों और लागू विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियमों के समान केंद्र सरकार के मानदंडों के अनुसार शासी निकाय द्वारा तय की गई दर पर यात्रा भत्ते के हकदार होंगे।

(f) कुलपति एक कलेंडर वर्ष में तीस दिन की दर से पूरे वेतन पर छुट्टी का हकदार होगा और छुट्टी उसके खाते में पहले दिन पन्द्रह दिन की दो अर्धवार्षिक किश्तों में अग्रिम रूप से हर साल जनवरी और जुलाई में क्रेडिट की जाएगी।

बशर्ते कि यदि कुलपति आधे साल की अवधि के दौरान कुलपति के पद का कार्यभार ग्रहण करता है और त्याग देता है, तो छुट्टी को सेवा के प्रत्येक पूर्ण महीने के लिए ढाई दिन की दर से आनुपातिक रूप से क्रेडिट की जाएगी।

(g) उपखंड (f) में निर्दिष्ट छुट्टी के अलावा, कुलपति सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए बीस दिनों की दर से आधे वेतन अवकाश का भी हकदार होगा और यह आधे वेतन का अवकाश चिकित्सा प्रमाण पत्र पर पूर्ण वेतन पर परिवर्तित अवकाश के रूप में प्राप्त किया जा सकता है:

बशर्ते कि यदि परिवर्तित अवकाश का लाभ उठाया जाता है, तो अर्ध वेतन अवकाश की दुगनी राशि देय अर्धवेतन अवकाश से डेबिट की जाएगी।

15. **कुलपति को हटाना** - (1) अधिनियम या इन संविधियों की धारा 22 की उप-धारा (1) में किसी भी बात के होते हुए भी, केंद्र सरकार किसी भी समय कुलपति के कार्यालय में प्रवेश करने के बाद, लिखित आदेश द्वारा अक्षमता, कदाचार या वैधानिक प्रावधानों के उल्लंघन के आधार पर कार्यालय से कुलपति को हटा सकती है:

परन्तु ऐसा कोई आदेश तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि कुलपति को सुनवाई का पर्याप्त अवसर न दे दिया गया हो:

बशर्ते यह भी कि केंद्र सरकार ऐसा आदेश देने से पहले शासी निकाय के अध्यक्ष से भी परामर्श करेगी:

यह भी हो सकता है कि केन्द्रीय सरकार, ऐसा आदेश देने से पूर्व, किसी भी समय जांच लंबित रहने पर, कुलपति को निलम्बित कर सकती है।

(ii) कुलपति को हटाने के एजेंडे पर विचार करने के लिए शासी निकाय का विशेष सत्र, शासी निकाय के कम से कम एक तिहाई सदस्यों से नोटिस प्राप्त होने पर अध्यक्ष द्वारा बुलाया जाएगा।

(iii) (a) कुलपति शासी निकाय को तीन महीने का नोटिस देकर पद से इस्तीफा दे सकते हैं, जिसे शासी निकाय की सिफारिश के साथ केंद्र सरकार को अग्रेषित किया जाएगा और इसे स्वीकृत माना जाएगा, अगर तीन महीने के भीतर कोई निर्णय नहीं लिया जाता है और कुलपति नोटिस की अवधि समाप्त होने पर कार्यमुक्त हो जाएंगे।

(b) अगर इस विषय पर कोई निर्णय नहीं लिया जाता, तो कुलपति नोटिस अवधि के दौरान किसी भी समय अपना इस्तीफा वापस ले सकते हैं:

बशर्ते कि यदि शासी निकाय यह निर्णय लेता है कि कुलपति को नोटिस की अवधि पूरी किए बिना तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त किया जा सकता है, तो शेष नोटिस अवधि के लिए वेतन का भुगतान करके कुलपति को कार्यमुक्त किया जा सकता है।

16. **कुलपति के अधिकार और कार्य** - अधिनियम की धारा 22 में निर्दिष्ट अधिकार और कार्यों के अतिरिक्त और इन संविधियों के प्रावधानों के अधीन, कुलपति के पास निम्नलिखित अधिकार और कार्य होंगे, अर्थात्: -

(1) कुलपति कार्यकारी परिषद, अकादमिक परिषद, वित्त समिति, भवन और कार्य समिति के पदेन अध्यक्ष होंगे और डिग्री प्रदान करने के लिए आयोजित दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेंगे।

(2) कुलपति विश्वविद्यालय के प्रमुख शैक्षणिक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी होंगे और विश्वविद्यालय के उचित प्रशासन और निर्देश देने और अनुशासन बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होंगे।

(3) कुलपति यह सुनिश्चित करेंगे कि शासी निकाय द्वारा लिए गए निर्णयों को लागू किया जाए;

(4) शासी निकाय को सूचित करते हुए अपनी किसी भी प्राधिकार को अपने अधीनस्थों में से किसी को सौंपना;

(5) कार्यवाही में बाधा डालने या रोकने के लिए या किसी सदस्य के अशोभनीय व्यवहार में लिप्त होने के लिए किसी सदस्य को प्राधिकरण, निकाय या समिति की बैठक से निलंबित करना;

(6) किसी कर्मचारी को निलंबित करना और उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करना;

(7) सुनिश्चित करें कि अधिनियम, विधियों और अध्यादेश के प्रावधानों का पूरी तरह से पालन किया जाता है;

(8) भारत या विदेश में अकादमिक, अनुसंधान, विस्तार, प्रशिक्षण, तकनीकी और प्रशासनिक कर्मचारियों को अनुसंधान, प्रशिक्षण या निर्देश के पाठ्यक्रम के लिए या उनके द्वारा उपयुक्त समझे जाने वाले किसी अन्य उद्देश्य के लिए,

नियमों और शर्तों के अधीन, जैसे कि सही और उचित समझा जा सकता है और इसकी सूचना शासी निकाय को दी जानी चाहिए;

(9) आकस्मिक श्रम और परियोजना निधि या उसके निपटान में उपलब्ध ऐसी अन्य निधि से भुगतान किए गए आकस्मिक श्रम को छोड़कर, सभी आवश्यक कर्मचारियों को नियोजित करें;

(10) (a) समय-समय पर संशोधित बजट प्रावधानों, अनुदान दिशानिर्देशों, सामान्य वित्तीय नियमों के अधीन, और आगे शासी निकाय या कार्यकारी द्वारा एक प्रस्ताव जारी करने के माध्यम से प्रत्यायोजित प्राधिकार के अधीन, समय-समय पर परिषद्, कुलपति के पास निम्नलिखित अधिकार होंगे, -

(i) विश्वविद्यालय चलाने के लिए खर्च करना;

(ii) किसी भी आवर्ती दायित्व को शामिल किए बिना आवर्ती बजट बनाने वाली विभिन्न मदों के संबंध में विश्वविद्यालय की निधियों को निश्चित सीमा तक पुनर्विनियोजित करना;

(iii) अतिरिक्त भुगतान, यदि कोई हो, की वसूली को इस शर्त के अधीन छोड़ दें कि ऐसा अधिक भुगतान कर्मचारी के गलत बयानी का परिणाम नहीं है;

(iv) वित्त अधिकारी की सिफारिशों पर अपूरणीय हानियों को बट्टे खाते में डालना;

(b) उप-खंड (a) के तहत अधिकार के प्रयोग में लिया गया कोई भी निर्णय शासी निकाय के समक्ष अपनी अगली बैठक में रखा जाएगा;

(11) कुलपति के पास पूर्ण या आंशिक रूप से अनुपयुक्त भवन के लिए लाइसेंस शुल्क में छूट या कमी को मंजूरी देने का अधिकार होगा;

(12) कुलपति के पास केंद्र सरकार के लेखा कोड, मौलिक और पूरक नियमों और अन्य नियमों में विभाग के प्रमुख के अधिकार होंगे, जहां तक वे विश्वविद्यालय की गतिविधियों के लिए लागू होते हैं या संचालन के लिए लागू किए जा सकते हैं;

(13) कुलपति के पास खरीद, सेवाओं के अनुबंध जैसे हाउसकीपिंग, सुरक्षा, आउटसोर्स जनशक्ति, और आपूर्तिकर्ताओं या अन्य पार्टियों को अग्रिम भुगतान से संबंधित व्यय को मंजूरी और मंजूरी देने का अधिकार प्राप्त होगा;

(14) विश्वविद्यालय के लिए और उसकी ओर से, विश्वविद्यालय और कुलपति के बीच को छोड़कर, सभी अनुबंध, जब शासी निकाय, कार्यकारी परिषद, वित्त समिति या किसी अन्य अधिकृत समिति के एक प्रस्ताव द्वारा अधिकृत और पारित किए गए उस ओर से, लिखित रूप में और विश्वविद्यालय के नाम पर किया जाना व्यक्त किया गया है और ऐसा प्रत्येक अनुबंध विश्वविद्यालय की ओर से कुलपति द्वारा निष्पादित किया जाएगा, लेकिन इस तरह के अनुबंध के तहत कुलपति किसी भी चीज़ के संबंध में व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी नहीं होंगे;

(15) कुलपति, मुख्यालय से अपनी अनुपस्थिति के दौरान, समय-समय पर आवश्यक कार्यों के निर्वहन के लिए पहले कुलपति या डीन या उपस्थित संकाय के एक वरिष्ठ सदस्य को अधिकृत कर सकते हैं;

(16) (a) मृत्यु, त्यागपत्र या अन्यथा के कारण शासी निकाय के अध्यक्ष के कार्यालय में कोई रिक्ति होने की स्थिति में या अध्यक्ष की अनुपस्थिति, बीमारी के कारण अपने कार्यों का निर्वहन करने में असमर्थ होने की स्थिति में या किसी अन्य कारण से, कुलपति संविधियों के तहत अध्यक्ष को सौंपे गए किसी भी या सभी कार्यों का निर्वहन कर सकते हैं;

(b) कुलपति विशेष सलाह, जानकारी या कोई अन्य मामला जो उक्त निकाय, परिषद या समिति के उचित निर्वहन में सहायक के लिए शासी निकाय और कार्यकारी परिषद, अकादमिक परिषद, वित्त समिति, भवन और कार्य समिति के अध्यक्ष के परामर्श से शासी निकाय में विशेष आमंत्रित के रूप में किसी भी व्यक्ति को आमंत्रित कर सकते हैं।

(17) विश्वविद्यालय के सहयोगी और विकास कार्यक्रमों के लिए निधियां सृजित करने और उनके उचित उपयोग की निगरानी के लिए बाहरी वित्त पोषण एजेंसियों के साथ प्रमुख संपर्क अधिकारी के रूप में कार्य करना;

(18) अन्य विश्वविद्यालय, अनुसंधान संस्थान, कॉलेज और राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संस्थान और वैज्ञानिक, औद्योगिक और वाणिज्यिक संगठनों के साथ सहयोग को बढ़ावा देने के लिए संपर्क स्थापित करने के लिए जिम्मेदार होना।

17. सम-कुलपति - (1) विश्वविद्यालय के सम-कुलपति की नियुक्ति कार्यकारी परिषद की सिफारिश पर राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों और लागू विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियमों और समान रूप से सेवा की अन्य शर्तों पर कार्यकारी परिषद की सिफारिश पर की जाएगी, जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया जाता है।

(2) सम कुलपति कुलपति की सहायता करेंगे, -

(a) ऐसे मामलों के संबंध में सहता करेंगे जो उन्हें समय-समय पर कुलपति द्वारा सौंपे जाएं;

(b) ऐसे अधिकारों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का पालन करेंगे जो उसे कुलपति द्वारा प्रत्यायोजित किए जाएं; तथा

(c) कुलपति की अनुपस्थिति में, सम-कुलपति, कुलपति के कर्तव्यों और प्राधिकार का निष्पादन करेंगे।

18. डीन - (1) कार्यकारी परिषद, अकादमिक परिषद की सिफारिश पर, विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों और अकादमिक कर्मचारियों में से, ऐसे कर्तव्यों और कार्यों को करने के लिए और सेवा के ऐसे नियमों और शर्तों और उपलब्धियों पर कार्यकारी के रूप में डीन की नियुक्ति करेगी, परिषद लागू विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियमों के अनुसार और समान रूप से राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों के समान निर्णय ले सकती है।

(2) डीन का चयन विश्वविद्यालय के अकादमिक स्टाफ से आवेदन आमंत्रित करके कुलपति द्वारा गठित संवीक्षा-सह-स्क्रीनिंग समिति द्वारा किया जाएगा, जिसे कार्यकारी परिषद की सिफारिश के लिए अकादमिक परिषद के समक्ष रखा जाएगा।

(3) डीन तीन साल की अवधि के लिए पद धारण करेगा और अकादमिक परिषद की सिफारिश पर कार्यकारी परिषद द्वारा अनुमोदित अवधि के लिए कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है।

(4) डीन कुलपति द्वारा सौंपे गए शैक्षणिक मानकों, अनुसंधान, संकाय विकास और अन्य कर्तव्यों को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगा।

(5) डीन कुलपति के निर्देशन और नियंत्रण में कार्य करेगा।

19. रजिस्ट्रार की नियुक्ति – (1) विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार की नियुक्ति शासी निकाय द्वारा इस प्रयोजन के लिए शासी निकाय द्वारा गठित चयन समिति द्वारा अनुशंसित पैनल से सीधी भर्ती के माध्यम से की जाएगी।

(2) रजिस्ट्रार को शुरू में पांच साल की अवधि के लिए नियुक्त किया जाएगा और आगे की अवधि के लिए विस्तार या पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा जैसा कि शासी निकाय द्वारा निर्धारित किया जा सकता है, लेकिन बासठ वर्ष की आयु से अधिक या समय-समय पर संशोधित राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों और लागू विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियमों के समान केंद्र सरकार के मानदंडों के अनुसार:

बशर्ते कि शासी निकाय, रजिस्ट्रार को उसकी अवधि समाप्त होने के बाद, शासी निकाय द्वारा निर्धारित अवधि के लिए पद पर बने रहने का निर्देश दे सकता है।

(3) रजिस्ट्रार की सेवा के अन्य नियम और शर्तें ऐसी होंगी जो राष्ट्रीय महत्व के समान रूप से रखे गए संस्थानों और लागू विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियमों के अनुरूप केंद्र सरकार के मानदंडों के अनुसार शासी निकाय द्वारा निर्धारित की जा सकती हैं, जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया जाता है।

(4) (a) रजिस्ट्रार किराए के भुगतान के बिना आवासीय आवास का उपयोग करने का हकदार होगा, जिसमें अध्यादेशों द्वारा निर्दिष्ट सीमाओं के अधीन प्रस्तुत करने या नवीनीकरण करने के प्रावधान होंगे।

(b) ऐसे आवास के रखरखाव के संबंध में रजिस्ट्रार पर कोई शुल्क नहीं लगेगा।

(c) सभी साज-सामान और फिक्सचर विश्वविद्यालय की संपत्ति होंगे।

(5) रजिस्ट्रार विश्वविद्यालय के स्थायी गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों के लिए स्वीकार्य छुट्टी के हकदार होंगे और केंद्र सरकार के मानदंडों के अनुसार विश्वविद्यालय के भविष्य निधि या पेंशन या अंशदायी भविष्य निधि योजना के सदस्य होंगे जो राष्ट्रीय महत्व के संस्थान, और समय-समय पर संशोधित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के लागू नियम के समान होंगे:

बशर्ते कि जहां विश्वविद्यालय या कॉलेज या संस्थान द्वारा संचालित या विश्वविद्यालय से संबद्ध या किसी अन्य विश्वविद्यालय या ऐसे अन्य विश्वविद्यालय द्वारा संचालित या संबद्ध किसी भी संस्थान के किसी कर्मचारी को रजिस्ट्रार के रूप में नियुक्त किया जाता है, तो उसे अनुमति दी जा सकती है किसी भी भविष्य निधि में अंशदान करना जारी रखेंगे, जिसका वह सदस्य है और विश्वविद्यालय उस भविष्य निधि में ऐसे व्यक्ति के खाते में उसी दर से अंशदान करेगा जिस दर पर वह व्यक्ति रजिस्ट्रार के रूप में अपनी नियुक्ति से ठीक पहले अंशदान कर रहा था:

इसके अलावा कि जहां ऐसा कर्मचारी किसी पेंशन योजना का सदस्य रहा हो, वहां विश्वविद्यालय ऐसी योजना के लिए आवश्यक अंशदान करेगा।

(6) राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों और लागू विश्वविद्यालय के समकक्ष, केंद्र सरकार के मानदंडों के अनुसार चिकित्सा उपस्थिति और उपचार के संबंध में समय-समय पर संशोधित अनुदान आयोग के नियम अनुसार रजिस्ट्रार विशेषाधिकार के लिए पात्र होंगे।

20. **रजिस्ट्रार के कर्तव्य और दायित्व** - अधिनियम की धारा 24 की उप-धारा (2), (3) और (4) के अतिरिक्त और इन संविधियों के प्रावधानों के अधीन, रजिस्ट्रार के पास निम्नलिखित प्राधिकार और कार्य होंगे, अर्थात्: -

(i) शासी निकाय, कार्यकारी परिषद और अकादमिक परिषद और उक्त अधिकारियों द्वारा गठित किसी अन्य समिति की बैठकें आयोजित करने के लिए नोटिस जारी करना;

(ii) शासी निकाय, कार्यकारी परिषद और अकादमिक परिषद और उन प्राधिकरणों द्वारा गठित किसी अन्य समिति के सभी आधिकारिक पत्राचार का संचालन करना;

(iii) सरकार, विश्वविद्यालय के अधिकारियों की बैठकों के एजेंडे की प्रतियां जैसे ही वे जारी किए जाते हैं और ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त की आपूर्ति करना;

(iv) विश्वविद्यालय द्वारा या उसके विरुद्ध वादों या कार्यवाहियों में विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करना, मुख्तारनामा पर हस्ताक्षर करना और अभिवचनों का सत्यापन करना या इस प्रयोजन के लिए अपने प्रतिनिधि की प्रतिनियुक्ति करना; और

(v) ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना जो संविधियों, अध्यादेशों या विनियमों में निर्दिष्ट किए जा सकते हैं या समय-समय पर शासी निकाय या कुलपति द्वारा आवश्यक हो सकते हैं।

21. वित्त अधिकारी – (1) विश्वविद्यालय के वित्त अधिकारी की नियुक्ति शासी निकाय द्वारा कार्यकारी परिषद की सिफारिश पर, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और इसी तरह राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों के लागू नियमों के अनुसार की जाएगी।

(2) वित्त अधिकारी को शुरू में पांच साल की अवधि के लिए नियुक्त किया जाएगा और वह आगे की अवधि के लिए विस्तार या पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा जैसा कि कार्यकारी परिषद द्वारा निर्धारित किया जा सकता है:

बशर्ते कि वित्त अधिकारी बासठ वर्ष की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त हो जाएंगे:

वित्त अधिकारी बासठ वर्ष की आयु प्राप्त करने के बावजूद, अपने उत्तराधिकारी की नियुक्ति और अपने कार्यालय में प्रवेश करने तक या एक वर्ष की अवधि समाप्त होने तक, जो भी पहले हो, तब तक पद पर बने रहेंगे।

(3) वित्त अधिकारी ऐसी अधिकार का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा, जो उसे अधिनियम या संविधियों या अध्यादेशों या कुलपति द्वारा सौंपे जाएं।

(4) वित्त अधिकारी अपने कार्यों के उचित निर्वहन के लिए कुलपति के प्रति उत्तरदायी होंगे।

(5) वित्त अधिकारी की उपलब्धियां और सेवा के अन्य नियम और शर्तें ऐसी होंगी जो लागू विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियमों के अनुसार शासी निकाय द्वारा निर्धारित की जा सकती हैं और राष्ट्रीय महत्व के समान रूप से स्थापित संस्थानों के समान हैं, जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया जाता है।

(6) वित्त अधिकारी वित्त समिति के पदेन सचिव होंगे।

(7) वित्त अधिकारी, -

(a) विश्वविद्यालय की निधि पर सामान्य पर्यवेक्षण का प्रयोग करेंगे और इसे अपनी वित्तीय नीति के संबंध में सलाह देंगे,

(b) ऐसे अन्य वित्तीय कार्य करनाकरेंगे जो उसे शासी निकाय द्वारा सौंपे जा सकते हैं या अध्यादेशों द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं।

(8) शासी निकाय के नियंत्रण के अधीन, वित्त अधिकारी, -

(a) ट्रस्ट और संपन्न संपत्ति सहित विश्वविद्यालय की संपत्ति और निवेश को न्यांतरित और प्रबंधित करना;

(b) सुनिश्चित करना कि एक वर्ष के लिए आवर्ती और अनावर्ती व्यय के लिए शासी निकाय द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक नहीं है और सभी धन उसी उद्देश्य पर खर्च किए जाते हैं जिसके लिए उन्हें दिया या आवंटित किया गया है;

(c) खातों और विश्वविद्यालय के बजट की तैयारी और रखरखाव के लिए जिम्मेदार होंगे और शासी निकाय के समक्ष प्रस्तुतीकरण करेंगे;

(d) नकदी और बैंक बैलेंस की स्थिति और निवेश की स्थिति पर निरंतर नजर रखेंगे;

(e) पार्किंग, निवेश और विश्वविद्यालय के धन और व्यय की आंतरिक लेखा परीक्षा के लिए जिम्मेदार और जवाबदेह होंगे;

(f) राजस्व के संग्रह की प्रगति को देखने और नियोजित संग्रह के तरीकों के लिए जिम्मेदार और जवाबदेह होंगे;

(g) यह सुनिश्चित करना कि भवन, भूमि, फर्नीचर और उपकरणों के रजिस्टरों को अपडेट रखा गया है और सभी कार्यालयों, विशेष केंद्रों, विशेष प्रयोगशालाओं, कॉलेज और संस्थानों में उपकरणों और अन्य उपभोग्य सामग्रियों के संबंध में स्टॉक की जांच की गई है;

(h) अनाधिकृत व्यय और अन्य वित्तीय अनियमितताओं को कुलपति के संज्ञान में लाना और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई का सुझाव देना; और

(i) विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जा रहे किसी कार्यालय, केंद्र, प्रयोगशाला, कॉलेज या संस्थान से ऐसी कोई सूचना या विवरण जिसे वह अपने कर्तव्यों के पालन के लिए आवश्यक समझे।

(9) जब वित्त अधिकारी का पद रिक्त हो या जब वित्त अधिकारी बीमारी, अनुपस्थिति या किसी अन्य कारण से अपने कार्यालय के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो, तो ऐसे व्यक्ति द्वारा कार्यालय के कर्तव्यों का पालन किया जाएगा, जैसा कि कुलपति इस प्रयोजन के लिए नियुक्त कर सकते हैं।

22. **संबद्धता और मान्यता के लिए बोर्ड** – (1) कुलपति संबद्धता और मान्यता के लिए बोर्ड के सदस्यों को नामित करेंगे जिसमें उप-कुलपति शामिल होंगे जो अध्यक्ष, डीन, कुलपति द्वारा नियुक्त एक संकाय सदस्य और प्रभारी सहायक रजिस्ट्रार होंगे।

(2) संबद्धता और मान्यता बोर्ड प्रस्तावों की रिपोर्ट कुलपति को प्रस्तुत करेगा।

(3) संबद्धता और मान्यता के लिए विस्तृत प्रक्रिया बोर्ड द्वारा संबद्धता और मान्यता के लिए कार्यकारी परिषद की सिफारिश पर शासी निकाय द्वारा अनुमोदित अध्यादेशों के माध्यम से तैयार की जाएगी।

23. **नियुक्ति के लिए चयन समिति** – (1) सहायक प्रोफेसर या उससे ऊपर के पद पर उप-कुलपति, रजिस्ट्रार, वित्त और अकादमिक स्टाफ के पद पर नियुक्ति के लिए शासी निकाय को सिफारिश करने के लिए शासी निकाय द्वारा गठित एक चयन समिति होगी, और और किसी अन्य मामले में गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति, समूह 'ए' और उससे ऊपर के किसी भी पद के लिए कुलपति को अधिकार होगा।

(2) चयन समिति का गठन समय-समय पर संशोधित केंद्र सरकार के मानदंडों के अनुसार किया जाएगा और अगर आवश्यक हो तो समान रूप से स्थापित राष्ट्रीय महत्व के संस्थान और समय-समय पर शासी निकाय की स्वीकृति के साथ संशोधित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियमों के अनुसार लागू किया जाएगा।

(3) कुलपति, या उसकी अनुपस्थिति में, उप-कुलपति या डीन या कुलपति द्वारा नामित एक प्रोफेसर, चयन समिति की बैठक बुलाएंगे और उसकी अध्यक्षता करेंगे:

बशर्ते कि चयन समिति की बैठक कुलपति के नामिती और शासी निकाय द्वारा नामित विशेषज्ञों के साथ पूर्व परामर्श के बाद तय की जाएगी:

इसके अलावा चयन समिति की कार्यवाही तब तक वैध नहीं होगी जब तक, -

(a) जहां कुलपति के नामित और शासी निकाय द्वारा नामित व्यक्तियों की संख्या कुल चार हो, और उनमें से कम से कम तीन बैठक में भाग लेते हैं; और

(b) जहां कुलपति के नामित और शासी निकाय द्वारा नामित व्यक्तियों की संख्या कुल तीन है, उनमें से कम से कम दो बैठक में भाग लेते हैं।

(4) चयन समिति द्वारा पालन किया जाने वाला गठन और प्रक्रिया वह होगी जो अध्यादेश में निर्धारित है।

24. **स्टैंडिंग या विशेष समितियाँ** – (1) विश्वविद्यालय का एक प्राधिकरण उतने स्टैंडिंग या विशेष समितियाँ नियुक्त कर सकता है, जो वह ठीक समझे, जिसमें ऐसे व्यक्ति शामिल हों, जो ऐसे प्राधिकरण के सदस्य नहीं हैं।

(2) खंड (1) के तहत नियुक्त एक समिति इसे सौंपे गए किसी भी विषय से निपट सकती है, जो इसे नियुक्त करने वाले प्राधिकारी द्वारा बाद की पुष्टि के अधीन है।

25. **स्टाफ के सदस्यों का वर्गीकरण** -विश्वविद्यालय के स्टाफ के सदस्यों को निम्नानुसार वर्गीकृत किया जाएगा-

(1) अकादमिक स्टाफ में निदेशक, डीन, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, सहायक प्रोफेसर, विषय विशेषज्ञ और ऐसे अन्य अकादमिक पद शामिल होंगे जो समय-समय पर अकादमिक परिषद की सिफारिश पर कार्यकारी परिषद द्वारा तय किए जा सकते हैं;

(2) गैर-अकादमिक कर्मचारियों में रजिस्ट्रार, उप रजिस्ट्रार, सहायक रजिस्ट्रार, वित्त अधिकारी, लेखा अधिकारी, आंतरिक लेखा परीक्षक, प्रबंधक (फैसिलिटी), सुरक्षा अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, निजी सचिव, कार्यकारी सहायक, चिकित्सा अधिकारी, इंजीनियर, विभिन्न क्षेत्रों के प्रबन्धक जैसे टेलीफ़ोन एक्सचेंज, प्रिंटिंग प्रेस, फोरमैन, पर्यवेक्षक (कार्यशाला), मैकेनिक, बागवानी सहायक, तकनीकी सहायक, शारीरिक प्रशिक्षण प्रशिक्षक शामिल होंगे और ऐसे अन्य गैर-अकादमिक पद जो समय-समय पर कार्यकारी परिषद द्वारा तय किए जा सकते हैं।

26. रोजगार के प्रकार और मानव संसाधन संरचना – (1) अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, विश्वविद्यालय के पास मानव संसाधन संरचना होगी, जैसा कि शासी निकाय द्वारा निर्धारित किया जा सकता है और निम्नलिखित प्रकार के रोजगार की आवश्यकता हो सकती है, अर्थात्:-

(i) सीधी भर्ती;

(ii) पदोन्नति;

(iii) समामेलन के प्रावधान के साथ या उसके बिना नियमित पद पर प्रतिनियुक्ति;

(iv) समय-समय पर जारी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियमों और शिक्षा मंत्रालय के विनियमों और निर्देशों के अनुसार जारी विश्वविद्यालय अध्यादेशों या दिशानिर्देशों के अनुसार अल्पकालिक अनुबंध नियुक्तियां।

(2) किसी विशेष शिक्षण या गैर-शैक्षणिक पद के संबंध में नियुक्तियाँ समय-समय पर यथा संशोधित समान रूप से स्थित राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों के लिए लागू विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियमों और मानदंडों के अनुसार की जाएंगी। जहां इस तरह के मानदंड उपलब्ध नहीं हैं, विश्वविद्यालय, अध्यादेशों द्वारा, अपने स्वयं के भर्ती नियमों को तैयार करेगी, योग्यता, अनुभव और कर्तव्यों की प्रकृति आदि को शासी निकाय के अनुमोदन के साथ पद की अनुकूलता के अनुसार निर्धारित करेगी।

(3) विश्वविद्यालय में किसी भी नियमित पद पर भर्ती एक विधिवत गठित चयन समिति की सिफारिशों पर की जाएगी, जैसा कि इन संविधियों में निर्धारित किया गया है।

(4) रिक्त पदों को उचित समय पर विज्ञापित किया जाएगा, जिसमें किसी भी प्रमुख राष्ट्रीय दैनिक में कम से कम एक प्रविष्टि, रोजगार समाचार में एक प्रविष्टि और विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर आवेदन जमा करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा।

27. नियुक्ति का विशेष तरीका - (1) शासी निकाय विश्वविद्यालय में प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर के पद या किसी अन्य समकक्ष शैक्षणिक पद को स्वीकार करने के लिए उच्च शैक्षणिक विशिष्ट और पेशेवर योग्यता वाले व्यक्ति को तरीके से और निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुसार आमंत्रित कर सकता है।

बशर्ते कि शासी निकाय ऐसे व्यक्तियों की नियुक्ति के लिए एक निर्दिष्ट अवधि के लिए अतिरिक्त पद भी सृजित कर सकता है:

लेकिन इस प्रकार सृजित अधिसंख्य पदों की संख्या विश्वविद्यालय में कुल पदों के पांच प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

(2) शासी निकाय किसी अन्य विश्वविद्यालय या संगठन में कार्यरत ऐसे शिक्षाविद को अध्यादेशों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार संयुक्त परियोजना शुरू करने के लिए नियुक्त कर सकता है।

28. **नियुक्ति और नियुक्ति की प्रक्रिया** – (1) विश्वविद्यालय में सभी पदों को इन संविधियों और अध्यादेशों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार और समय-समय पर शासी निकाय द्वारा निर्धारित किया जा सकता है और चयन पारदर्शी तरीके से और परिलब्धियों के अनुसार किया जाएगा और समय-समय पर संशोधित राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों और लागू विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियमों के समान केंद्र सरकार के मानदंडों के अनुसार भुगतान किया जाएगा।

(2) चेयर प्रोफेसर, संयुक्त फैकल्टी, एडजंक्ट फैकल्टी, विशिष्ट फैकल्टी, मानद प्रोफेसर और विजिटिंग फैकल्टी की नियुक्तियां। – (i) विश्वविद्यालय चेयर प्रोफेसरशिप सृजित कर सकता है जिसे आंशिक रूप से या पूरी तरह से विश्वविद्यालय की निधि से वित्त पोषित किया जा सकता है।

(ii) कुलपति, अकादमिक परिषद की सिफारिश पर, अकादमिक परिषद द्वारा गठित खोज-सह-चयन समिति द्वारा अनुशंसित नियमों और शर्तों पर भारत और विदेशों से डोमेन एक्स्पर्ट्स या विशेषज्ञों को नियुक्त कर सकता है और इसकी रिपोर्ट शासी निकाय की आगामी बैठक में कर सकता है।

(3) विश्वविद्यालय प्रतिनियुक्ति, ऋण, ग्रहणाधिकार या शिक्षण, गैर-शिक्षण या ऐसे अन्य कर्मियों की संयुक्त नियुक्तियों पर नियुक्ति कर सकता है, जो विश्वविद्यालय के उद्देश्य को पूरा करने के लिए आवश्यक हैं, देश के भीतर या बाहर या केंद्र सरकार के सरकारी विभाग या कोई भी राज्य सरकार, ऐसी उपलब्धियों, नियमों और शर्तों पर शिक्षण, अनुसंधान, विस्तार, प्रशासन या प्रशिक्षण के लिए, जैसा कि खोज-सह-चयन समिति द्वारा अनुशंसित किया जा सकता है और लागू विश्वविद्यालय अनुदान के अनुसार प्रत्येक मामले में शासी निकाय द्वारा आयोग के नियम और समान रूप से राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों के समान अनुमोदित किया जा सकता है।

(4) कुलपति, विद्या परिषद के परामर्श से समय-समय पर विश्वविद्यालय की जरूरतों और ऐसे व्यक्तियों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए, जो आवश्यक समझे जाते हैं, विभिन्न स्तरों पर मानद, प्रतिष्ठित, सहायक संकाय और अतिथि संकाय की नियुक्ति कर सकते हैं।

29. **सेवा के नियम और शर्तें और शैक्षणिक स्टाफ की आचार संहिता** – (1) विश्वविद्यालय के सभी शैक्षणिक कर्मचारी, किसी भी विपरीत समझौते के अभाव में, सेवा के नियमों और शर्तों और आचार संहिता, टर्मिनल लाभ, सेवानिवृत्ति की आयु के अनुसार, आवश्यक परिवर्तनों के साथ शासित होंगे, यह केंद्र सरकार के मानदंड और समान रूप से राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों और समय-समय पर संशोधित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियमों के समान होंगे।

(2) शैक्षणिक स्टाफ के सदस्यों की उपलब्धियां, चिकित्सा, छुट्टी नियम, छुट्टी यात्रा रियायत, आवधिक लाभ, भत्ते और अन्य लाभ और उनकी सेवा के अन्य नियम और शर्तें केंद्र सरकार के मानदंडों के अनुसार अध्यादेशों में समान रूप से राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों और समय-समय पर संशोधित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियमों के साथ निर्धारित किए जाएंगे।

30. **गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों की सेवा के नियम और शर्तें और आचार संहिता** –(1) विश्वविद्यालय के शैक्षणिक कर्मचारियों को छोड़कर विश्वविद्यालय के सभी कर्मचारी, किसी भी विपरीत अनुबंध के अभाव में, आवश्यक परिवर्तनों सहित, केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर लागू सेवा नियमों द्वारा शर्तों और शर्तों तक शासित होंगे, यह सेवा की शर्तें और आचार संहिता केंद्र सरकार के मानदंडों के अनुसार समान रूप से राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों और लागू विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियमों के अनुसार अध्यादेशों में निर्दिष्ट हैं।

(2) विश्वविद्यालय के सभी गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों की उपलब्धियां, चिकित्सा, छुट्टी नियम, छुट्टी यात्रा रियायत, आवधिक लाभ, भत्ते और सेवा के अन्य नियम और शर्तें, केंद्र सरकार के मानदंडों के अनुसार अध्यादेशों में निर्धारित की जाएंगी, यह समय-समय पर संशोधित राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों और लागू विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियमों के समान होगा।

31. **कर्मचारियों के लिए लाभ और सुविधाएं** – (1) विभिन्न लाभ और सुविधाएं पात्र कर्मचारियों को उपलब्ध होंगी जैसा कि नियुक्ति पत्र में उल्लेख किया जा सकता है और उनके द्वारा आयोजित ऐसी नियुक्ति की प्रकृति, जैसा कि अध्यादेशों में प्रदान किया गया है।

(2) विश्वविद्यालय का प्रत्येक कर्मचारी अवकाश, छुट्टी, छुट्टी यात्रा रियायत और अन्य लाभों का हकदार होगा, यथोचित परिवर्तनों सहित, लागू विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियमों और भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट छुट्टी नियमों के तहत, समय-समय पर संशोधित राष्ट्रीय महत्व के समान रूप से रखे गए संस्थानों के बराबर होंगे।

(3) जब कोई कर्मचारी किसी अन्य संस्थान या केंद्रीय विश्वविद्यालय या राज्य विश्वविद्यालय या केंद्र या राज्य सरकार के किसी अन्य संगठन से विश्वविद्यालय में शामिल होता है, तो इस तरह के शामिल होने की तारीख से ठीक पहले की तारीख को उसके खाते में छुट्टी दे दी जाएगी, इसे छुट्टी के संचय की विशिष्ट सीमा के अधीन, विश्वविद्यालय में उनके अवकाश खाते में अग्रेषित और जमा किया जाएगा:

बशर्ते कि इस प्रयोजन के लिए संस्थान या केंद्रीय विश्वविद्यालय या राज्य विश्वविद्यालय या केंद्र या राज्य सरकार का कोई अन्य संगठन, जिससे कोई कर्मचारी विश्वविद्यालय में शामिल होता है, ऐसी छुट्टी को आगे ले जाने के लिए छुट्टी वेतन दायित्व का निर्वहन करेगा।

32. **सेवानिवृत्ति लाभ** –(1) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना का गठन, रखरखाव और प्रशासन समान रूप से स्थापित राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों और समय-समय पर संशोधित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियमों के अनुरूप केंद्र सरकार के मानदंडों के अनुसार किया जाएगा।

(2) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को ऐसी बीमा पॉलिसी के तहत कवर किया जाएगा जो शासी निकाय समय-समय पर कार्यकारी परिषद की सिफारिश पर निर्णय ले।

33. **वैधानिक निकायों के लिए यात्रा और अन्य भत्ते** –(1)शासी निकाय के सदस्य, विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकरण और अभिनेता के तहत गठित समितियों के सदस्य इन विधियों या अध्यादेशों या सरकारी कर्मचारियों के अलावा शासी निकाय और अन्य अधिकारियों द्वारा गठित किए जा सकते हैं और विश्वविद्यालय के कर्मचारी, समय-समय पर संशोधित राष्ट्रीय महत्व के समान रूप से रखे गए राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों के समकक्ष शासी निकाय द्वारा निर्धारित अधिकारियों और समितियों की बैठकों में भाग लेने के लिए ऐसे यात्रा भत्ते और दैनिक भत्ते के हकदार होंगे।

(2) विश्वविद्यालय के शासी निकाय और अन्य प्राधिकरणों और समितियों के सदस्य, जो सरकारी कर्मचारी हैं, यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता उस स्रोत से प्राप्त करेंगे जिससे वे अपना वेतन उन्हें अनुमत दरों पर प्राप्त करते हैं और अगर आवश्यक हो तो सदस्यों के लिए, विश्वविद्यालय समय-समय पर शासी निकाय द्वारा निर्धारित यात्रा भत्ता या दैनिक भत्ते की प्रतिपूर्ति करेगा, अगर वे घोषणा करते हैं कि वे किसी अन्य स्रोत से यात्रा भत्ता या दैनिक भत्ता का दावा नहीं करेंगे।

34. **कर्मचारियों के लिए आवास का प्रबंधन** – उपलब्धता के अधीन, विश्वविद्यालय के कर्मचारी समय-समय पर शासी निकाय द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार, विश्वविद्यालय द्वारा की गई व्यवस्था के अनुसार विश्वविद्यालय के परिसर के भीतर या बाहर आवास के आवंटन के लिए पात्र होंगे।

35. **वरिष्ठता** – (1) जब कभी इन परिनियमों के अनुसार किसी व्यक्ति को वरिष्ठता के अनुसार चक्रानुक्रम से विश्वविद्यालय का कोई पद धारण करना हो या किसी प्राधिकरण का सदस्य होना हो, तो ऐसी ज्येष्ठता का निर्धारण ऐसे व्यक्ति की अपने पद पर निरंतर सेवा की अवधि के अनुसार ग्रेड और ऐसे अन्य सिद्धांत के अनुसार किया जाएगा जो शासी निकाय समय-समय पर इस संबंध में निर्धारित कर सकता है।

(2) रजिस्ट्रार का यह कर्तव्य होगा कि वह प्रत्येक वर्ग के व्यक्तियों के संबंध में, जिन पर इन संविधियों के प्रावधान लागू होते हैं, खंड (1) के प्रावधानों के अनुसार एक पूर्ण और अपडेट वरिष्ठता सूची तैयार करें और बनाए रखें।

(3) अगर किसी विशेष ग्रेड में दो या दो से अधिक व्यक्तियों की समान अवधि कीके लिए निरंतर कार्यरत हैं या किसी व्यक्ति की सापेक्ष वरिष्ठता अन्यथा संदेह में है, तो रजिस्ट्रार, अपने स्वयं के प्रस्ताव पर या किसी ऐसे व्यक्ति के अनुरोध पर शासी निकाय के लिए मामला प्रस्तुत करेंगे, जिसका निर्णय अंतिम होगा।

(4) विशिष्ट उद्देश्यों जैसे पदोन्नति, प्राधिकरणों और निकायों की सदस्यता, आवासीय प्रबंधन, और ऐसे अन्य मामलों के लिए विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों की परस्पर वरिष्ठता का निर्धारण करने के लिए, कार्यकारी परिषद समय-समय पर मानदंडों और दिशानिर्देशों को मंजूरी दे सकता है।

36. **आचरण के नियम** –विश्वविद्यालय के कर्मचारी समय-समय पर यथा संशोधित केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 द्वारा यथावश्यक परिवर्तनों सहित शासित होंगे।

37. **कर्मचारियों को हटाना** – (1)जहां विश्वविद्यालय के किसी अकादमिक या गैर-शैक्षणिक कर्मचारी के खिलाफ कदाचार का आरोप है, वहां कुलपति, आदेश द्वारा, शैक्षणिक स्टाफ के ऐसे सदस्य या अन्य कर्मचारी को, जैसा भी मामला हो, लिखित रूप में निलंबन के आदेश के अधीन कर सकता है और तत्काल शासी निकाय को उन परिस्थितियों की रिपोर्ट करेंगे जिसके लिए आदेश दिया गया था:

बशर्ते कि शासी निकाय, अगर उनकी राय है कि मामले की परिस्थितियां उक्त निलंबन को वारंट नहीं करती हैं, तो ऐसे आदेश को रद्द किया जा सकता है।

(2) नियुक्ति के अनुबंध की शर्तों या कर्मचारियों की सेवा के किसी अन्य नियम और शर्तों में निहित किसी भी बात के बावजूद, शैक्षणिक कर्मचारियों के संबंध में शासी निकाय और अन्य कर्मचारियों के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी को कदाचार के आधार पर किसी अकादमिक स्टाफ सदस्य, या अन्य कर्मचारी, जैसा भी मामला हो, को हटाने का अधिकार:

बशर्ते कि शासी निकाय, या जैसा भी मामला हो, नियुक्ति प्राधिकारी किसी भी अकादमिक स्टाफ सदस्य या अन्य कर्मचारी को उचित कारण के अलावा और तीन महीने के नोटिस के बाद या बदले में तीन महीने के वेतन के भुगतान के अलावा हटाने का हकदार नहीं होगा।

(3) किसी भी अकादमिक स्टाफ सदस्य या अन्य कर्मचारी को खंड (2) के तहत तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक कि उसे सुनवाई का उचित अवसर न दिया गया हो।

(4) किसी अकादमिक स्टाफ सदस्य या अन्य कर्मचारी का निष्कासन उस तारीख से प्रभावी होगा, जिस दिन से हटाने का आदेश दिया जाता है:

बशर्ते कि जहां शैक्षणिक स्टाफ सदस्य या अन्य कर्मचारी को हटाए जाने के समय निलंबन में है, ऐसा निष्कासन उस तारीख से प्रभावी होगा, जिस दिन उसे निलंबन के तहत रखा गया था।

(5) इन संविधियों के पूर्वगामी प्रावधानों के अलावा भी, कोई अकादमिक स्टाफ सदस्य या अन्य कर्मचारी इस्तीफा दे सकता है, -

(a) अगर वह एक स्थायी कर्मचारी है, तो केवल तीन महीने का लिखित नोटिस शासी निकाय या नियुक्ति प्राधिकारी को देकर, जैसा भी मामला हो, या उसके एवज में तीन महीने का वेतन देकर;

(b) *अगर वह स्थायी कर्मचारी नहीं है, तो कार्यकारी परिषद या नियुक्ति प्राधिकारी को तीन महीने का लिखित नोटिस देने के बाद या उसके बदले में तीन महीने का वेतन देकर:*

बशर्ते कि ऐसा इस्तीफा केवल उसी तारीख से प्रभावी होगा जिस दिन शासी निकाय या नियुक्ति प्राधिकारी, जैसा भी मामला हो, द्वारा इस्तीफा स्वीकार कर लिया जाता है।

38. **प्रदर्शन का मूल्यांकन** –प्रत्येक शैक्षणिक कर्मचारी और गैर-शैक्षणिक कर्मचारी वार्षिक प्रदर्शन प्रबंधन मूल्यांकन प्रणाली के अधीन होंगे, जैसा कि लागू विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियमों और समय-समय पर संशोधित राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों में निर्धारित किया गया है।

39. **अखिल भारतीय और विदेशी दायित्व** –विश्वविद्यालय के कर्मचारी के पास अखिल भारतीय और विदेश सेवा दायित्व होंगे।

40. **अधिकारियों के आदेश और निर्णय और कानूनी कार्यवाही का प्रमाणीकरण**–(1) प्राधिकरण के सभी आदेश और निर्णय रजिस्ट्रार या इस संबंध में शासी निकाय द्वारा अधिकृत किसी अन्य व्यक्ति के हस्ताक्षर से प्रमाणित होंगे।

(2) रजिस्ट्रार विश्वविद्यालय के नाम पर और उनकी अनुपस्थिति में या इस संबंध में कुलपति द्वारा अधिकृत होने पर, उप रजिस्ट्रार या सहायक रजिस्ट्रार या कुलपति द्वारा अधिकृत किसी भी व्यक्ति पर मुकदमा कर सकता है और मुकदमा चलाया जा सकता है। कुलपति, कानूनी कार्यवाही में विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करेंगे; अभिवचन और अन्य दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करेंगे और ऐसी कानूनी कार्यवाही में विश्वविद्यालय की ओर से प्रक्रियाओं को स्वीकार करेंगे।

41. **विभाग, स्कूल, केंद्र और अन्य इकाइयां** – (1) विश्वविद्यालय में मौजूदा स्कूल, केंद्र और विभाग निम्नानुसार हैं -

(a) आंतरिक सुरक्षा और पुलिस प्रशासन;

(b) सूचना प्रौद्योगिकी स्कूल, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और साइबर सुरक्षा;

(c) एकीकृत तटीय और समुद्री सुरक्षा अध्ययन का स्कूल;

(d) आंतरिक सुरक्षा, रक्षा और सामरिक अध्ययन का स्कूल;

(e) फॉरेंसिक साइंस, जोखिम प्रबंधन और राष्ट्रीय सुरक्षा का स्कूल;

(f) अपराध विज्ञान और व्यवहार विज्ञान का स्कूल;

(g) अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, सुरक्षा और सामरिक भाषाओं का स्कूल;

(h) सुरक्षा, कानून प्रवर्तन और आपराधिक न्याय का स्कूल;

(i) अनुप्रयुक्त विज्ञान, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी का स्कूल;

(j) शारीरिक शिक्षा और स्पोर्ट्स स्कूल; तथा

(k) सुरक्षा और वैज्ञानिक तकनीकी अनुसंधान संघ।

(2) विश्वविद्यालय में ऐसे अन्य अध्ययन विद्यालय और विभाग होंगे जो शासी निकाय द्वारा अनुमोदित संविधियों और अध्यादेशों द्वारा निर्दिष्ट किए जा सकते हैं।

(3) कार्यकारी परिषद समय-समय पर अकादमिक परिषद की सिफारिश पर किसी भी शैक्षणिक इकाइयों जैसे विभागों, स्कूलों, अनुसंधान या अन्य केंद्रों, डिवीजनों को बना, जारी, विलय, समाप्त कर सकती है।

(4) प्रत्येक स्कूल में एक अध्ययन बोर्ड होगा और पहला अध्ययन बोर्ड शासी निकाय द्वारा नामित किया जाएगा और तीन साल की अवधि के लिए कार्य करेगा।

(5) अध्ययन बोर्ड के अधिकार और कार्य अध्यादेशों द्वारा निर्धारित किए जाएंगे।

(6) अध्ययन बोर्ड की बैठक का संचालन और ऐसी बैठक के लिए आवश्यक सदस्यों की संख्या अध्यादेशों द्वारा निर्धारित की जाएगी।

(7) अध्ययन बोर्ड के कार्य पाठ्यक्रम, शिक्षण और परीक्षा योजना, परीक्षक के पैनल, शिक्षण और अनुसंधान के स्तर में सुधार के उपाय, और संबंधित कार्यक्रमों के तहत प्रस्तावित कार्यक्रमों से संबंधित स्कूल के अन्य पाठ्यचर्या पहलुओं पर विचार करना और सिफारिश करना होगा।

(8) प्रत्येक विद्यालय में ऐसे विभाग होंगे जो उसे अध्यादेशों द्वारा सौंपे जाएं।

(9) शासी निकाय के अनुमोदन के बिना कोई भी स्कूल या विभाग स्थापित या समाप्त या परिवर्तित नहीं किया जाएगा।

42. **विभागों के प्रमुख, स्कूलों और केंद्रों के प्रमुख** –(1) (i)प्रत्येक विभाग या स्कूल या केंद्र या इसी तरह की शैक्षणिक, अनुसंधान, विस्तार और प्रशिक्षण इकाई को निदेशक के पद के साथ या इकाई के कामकाज के अनुरूप ऐसे अन्य पदनाम के साथ एक प्रमुख के प्रभार में रखा जाएगा, जैसा कि कुलपति द्वारा निर्धारित किया जाएगा, और जिसे कुलपति द्वारा विश्वविद्यालय के विभाग या स्कूल या केंद्र या इसी तरह की शैक्षणिक या अनुसंधान इकाई में से चुना और नियुक्त किया जाएगा:

बशर्ते कि जब कुलपति की राय में, स्थिति की मांग के अनुसार कुलपति स्कूल के एक शिक्षण या शोध कर्मचारी को निदेशक का प्रभार दे सकते हैं।

(ii) निदेशक, कुलपति या डीन के निर्देश और सामान्य नियंत्रण के अधीन अपने प्रभार के तहत गतिविधियों के लिए जिम्मेदार होंगे।

(2) निदेशक का यह कर्तव्य होगा कि वह यह देखे कि शिक्षण, अनुसंधान, विस्तार, प्रशिक्षण और विकास, प्रशासनिक और अन्य गतिविधियों और स्कूल के अधिकारियों और कुलपति के निर्णयों का ठीक से पालन किया जाता है और वह ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा जो कुलपति द्वारा उसे सौंपे जाएंगे।

(3) कुलपति, विश्वविद्यालय के समग्र हितों और विकास में, शैक्षणिक परिषद की सिफारिश पर, कार्यकारी परिषद के माध्यम से स्कूलों या केंद्रों के निदेशकों को भत्ते देने पर विचार कर सकते हैं।

43. **फैलोशिप, छात्रवृत्ति, सहायता, पदक और पुरस्कार** –(1) शासी निकाय, अकादमिक परिषद की सिफारिश पर, समय-समय पर अपने छात्रों को स्नातक, स्नातकोत्तर, अनुसंधान और पोस्ट-डॉक्टरल और अन्य स्तरों पर फेलोशिप, छात्रवृत्ति, सहायता, पदक और पुरस्कार प्रदान कर सकता है।

(2) शासी निकाय उनमें से प्रत्येक के लिए समय-समय पर पुरस्कार के मूल्य, संख्या और शर्तों को तय करेगा।

44. **प्रवेश। – (1)** विश्वविद्यालय स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा और अन्य कार्यक्रमों में अपने स्वयं के परिसर और उसके संबद्ध कॉलेजों के घटक स्कूलों में योग्यता या राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षा के आधार पर और इस तरह से छात्रों को प्रवेश देगा जैसा कि अध्यादेशों में निर्धारित किया जा सकता है।

(2) विदेशी छात्रों को प्रवेश। - विश्वविद्यालय विदेशी छात्रों, भारत के प्रवासी नागरिक कार्ड धारकों, भारतीय मूल के व्यक्तियों, अनिवासी भारतीयों, खाड़ी और दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों में भारतीय श्रमिकों के बच्चों को भारत सरकार के अधिनियम और संविधियों के दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रवेश देगा।

45. **छात्रों द्वारा देय शुल्क और अन्य शुल्क** - (1) छात्रों द्वारा देय शुल्क और अन्य शुल्क के लिए प्रारंभिक नीति कार्यकारी परिषद की सिफारिश पर शासी निकाय द्वारा अनुमोदित की जाएगी और बाद में, कार्यकारी परिषद समय-समय पर संशोधन कर सकती है, और शासी निकाय को सूचित कर सकती है।

(2) विभिन्न कार्यक्रमों में प्रवेश पाने वाले छात्र पहले प्रवेश के समय कार्यक्रम शुल्क और अन्य शुल्क का भुगतान करेंगे और उसके बाद प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष या अंतराल में उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए कार्यकारी परिषद समय-समय पर कार्यकारी परिषद द्वारा तय की गई नीति के अनुसार निर्धारित किया जाएगा।

(3) कुलपति, अकादमिक परिषद के अनुमोदन से मेधावी छात्रों को योग्यता-सह-साधन सहायता के प्रशासन के लिए पात्रता और दिशा-निर्देश निर्धारित करेंगे।

46. **छात्रावास और निवास के हॉल** – अंडर-ग्रेजुएट छात्रों, पोस्ट-ग्रेजुएट छात्रों और शोधार्थियों को आवास और छात्रावास के हॉल उपलब्ध कराए जा सकते हैं, जो विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध, प्रबंधित, मान्यता प्राप्त या अन्यथा रखरखाव के आधार पर उपलब्ध कराया जा सकता है, जैसा कि कार्यकारी परिषद द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जा सकता है।

47. **मानद उपाधियां प्रदान करना** -मानद उपाधि प्रदान करने के सभी प्रस्ताव अकादमिक परिषद द्वारा कार्यकारी परिषद को दिए जाएंगे और इसके लिए शासी निकाय की सहमति की आवश्यकता होगी।

48. **डिग्रियों की निकासी** - कार्यकारी परिषद एक संकल्प द्वारा शासी निकाय को विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी व्यक्ति को दिए गए किसी भी डिग्री या अकादमिक सम्मान या किसी भी प्रमाण पत्र या डिप्लोमा को उचित और पर्याप्त कारण के लिए इस संबंध में बनाए गए अध्यादेशों में वापस लेने की सिफारिश कर सकती है, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है:

बशर्ते कि प्रस्तावित परिवर्तनों पर लिखित में राय व्यक्त करने का उचित अवसर दिए बिना ऐसा कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया जाएगा, और इस तरह व्यक्त की गई किसी भी राय पर शासी निकाय द्वारा विचार किया जाएगा।

49. **उद्यमशीलता का प्रमोशन, स्टार्ट अप, इन्क्यूबेशन पहल** – (1) विश्वविद्यालय उद्यमिता, नवाचार, स्टार्ट-अप, इन्क्यूबेशन और सार्वजनिक-निजी भागीदारी कार्यक्रमों और गतिविधियों में संकाय और छात्रों की भागीदारी को बढ़ावा देगा।

(2) विश्वविद्यालय, शासी निकाय के अनुमोदन से, इस तरह के प्रचार उद्यमशीलता, नवाचार, स्टार्ट-अप, इंक्यूबेशन गतिविधियों के लिए लचीलापन प्रदान करने वाले उपयुक्त दिशानिर्देश तैयार कर सकता है और इसके निर्माण, विकास और रखरखाव के लिए संसाधन उत्पन्न और आवंटित कर सकता है और सार्वजनिक या निजी संस्थानों या संगठनों से फंड एकत्र कर सकता है।

(3) कार्यकारी परिषद, शासी निकाय के अनुमोदन के अधीन, अकादमिक, अनुसंधान, ऊष्मायन और स्टार्ट-अप में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए संस्थाओं की स्थापना के लिए उपयुक्त मानदंड और दिशानिर्देश निर्धारित कर सकती है:

बशर्ते कि भारत सरकार के अनुदान के तहत आवंटित धन का उपयोग उन संस्थाओं के लिए नहीं किया जाएगा।

50. **ज्ञान संसाधन और प्रबंधन** - विश्वविद्यालय शैक्षिक कर्मचारियों, छात्रों, शोधकर्ताओं, प्रशिक्षकों और शैक्षणिक, प्रबंधन और प्रशासनिक कार्यों में लगे अन्य व्यक्तियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए ज्ञान, संसाधन और प्रबंधन उद्देश्यों के लिए उपयुक्त सुविधाओं के निर्माण के लिए प्रदान कर सकता है, जिसमें प्रौद्योगिकी संवर्धित सीखने की प्रक्रिया भी शामिल है, यह समकालीन माध्यमों और विधियों के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट रूप में या शासी निकाय द्वारा अनुमोदित किया जा सकता है।

51. **संसाधन जुटाना, कोष और अक्षयनिधि फंड** – (1) अधिनियम की धारा 31 के प्रावधानों के अधीन, विश्वविद्यालय विभिन्न स्रोतों जैसे प्रशिक्षण, अनुसंधान, विस्तार, परामर्श, दान, फेलोशिप, चेयर, सतत शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा, और ऐसे अन्य गतिविधियों और कार्यक्रमों के स्रोतों से अपने स्वयं के संसाधन जुटा सकता है ताकि इसकी कुछ अतिरिक्त जरूरतों को ऐसे संसाधनों से पूरा किया जा सके।

(2) विश्वविद्यालय के प्रयोजन और उद्देश्य के अनुसार, केंद्र या राज्य सरकार के विभाग और एजेंसियां और ऐसे अन्य सार्वजनिक या निजी संगठनों से सक्रिय रूप से संसाधन जुटाने का प्रयास करेगा, और इसके शैक्षणिक और अनुसंधान कार्यक्रम के लिए आत्मनिर्भर बनने और बने रहने का लक्ष्य रहेगा।

52. **सतत शिक्षा कार्यक्रम** –(1)कार्यकारी परिषद, अकादमिक परिषद की सिफारिश पर, विश्वविद्यालय द्वारा सतत शिक्षा कार्यक्रमों की पेशकश करने के लिए उपयुक्त संरचनाएं और प्रक्रियाएं निर्धारित कर सकती है।

(2) इस तरह के कार्यक्रमों को विकसित करते समय, विश्वविद्यालय केंद्र और राज्य सरकारों के संगठनों और विभागों की विशिष्ट आवश्यकताओं, चिंताओं और हितों को ध्यान में रखेगा ताकि उक्त संगठनों और विभागों की सेवा में कर्मियों के समग्र ज्ञान, अनुसंधान और कौशल आधार को समृद्ध किया जा सके।

53. **विश्वविद्यालय के छात्रों के बीच अनुशासन बनाए रखना** – (1)विश्वविद्यालय के छात्रों के संबंध में अनुशासन और अनुशासनात्मक कार्रवाई से संबंधित सभी अधिकार कुलपति के अधीन होंगे।

(2) अनुशासन बनाए रखने से संबंधित अपने अधिकारों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना और अनुशासन बनाए रखने के लिए ऐसी कार्रवाई करने के लिए, जो उसे उचित समझे, कुलपति, अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए, आदेश द्वारा, निर्देश दे सकते हैं कि किसी भी छात्र या छात्रों को एक निर्दिष्ट अवधि के लिए निष्कासित या दंडस्वरूप निष्कासित कर दिया जाता है, या विश्वविद्यालय के किसी स्कूल, कॉलेज या विभाग में एक निश्चित अवधि के लिए पाठ्यक्रम या अध्ययन के पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं दिया जाता है, या एक राशि के लिए जुर्माने से दंडित किया जाता है, या आदेश में निर्दिष्ट किया जाना है, या एक या अधिक वर्षों के लिए विश्वविद्यालय, कॉलेज, संस्थान या विभाग या एक स्कूल द्वारा आयोजित परीक्षा या परीक्षा लेने से वंचित किया जा सकता है, या परीक्षा या परीक्षाओं में संबंधित छात्र या छात्रों के परिणाम को रद्द कर दिया जाता है।

(3) विश्वविद्यालय के अध्ययन विद्यालयों के निदेशकों और संबद्ध महाविद्यालयों के प्रधानाचार्यों को अपने संबंधित स्कूल, कॉलेजों और विभागों में छात्रों पर ऐसी सभी अनुशासनात्मक प्राधिकार का प्रयोग कर सकेंगे।

(4) प्रवेश के समय, प्रत्येक छात्र को इस आशय की एक घोषणा पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता होगी कि वह खुद को कुलपति और विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों के अनुशासनात्मक अधिकार क्षेत्र में प्रस्तुत करता है।

54. **संबद्ध महाविद्यालयों के छात्रों के बीच अनुशासन बनाए रखना** - विश्वविद्यालय द्वारा संचालित नहीं किए जाने वाले संबद्ध कॉलेज के छात्रों के संबंध में अनुशासन और अनुशासनात्मक कार्रवाई से संबंधित सभी अधिकार, अध्यादेशों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कुलपति में निहित होंगे।

55. **दीक्षांत समारोह** –डिग्री प्रदान करने या अन्य उद्देश्यों के लिए विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह इस तरह से आयोजित किया जाएगा जैसा कि अध्यादेशों द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।

56. **संविधियों की व्याख्या** -इन प्रथम संविधियों की व्याख्या और उनके प्रावधानों से संबंधित सभी प्रश्नों पर शासी निकाय का निर्णय अंतिम होगा।

57. **प्राधिकरण का प्रत्यायोजन** -विश्वविद्यालय के अधिकारी या ऑफिसर विश्वविद्यालय के किसी भी अधीनस्थ प्राधिकारियों या अधिकारियों को अपने अधिकार उचित समझे जाने पर प्रत्यायोजित कर सकते हैं और ऐसी प्रत्यायोजित अधिकारों का प्रयोग करते हुए की गई कार्रवाई को विश्वविद्यालय के उक्त अधीनस्थ प्राधिकारियों या कार्यालयों द्वारा यथाशीघ्र ऐसे प्राधिकारियों या अधिकारियों की सूचना दी जाएगी।

58. **संविधियों के अंतर्गत नहीं आने वाले प्रावधान**– (1) कोई भी मामला जो इन संविधियों के अंतर्गत नहीं आता है, उसे शासी निकाय, कार्यकारी परिषद, अकादमिक परिषद, वित्त समिति, या विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा अधिनियम के आधार पर ऐसे अधिकारियों में निहित अधिकारों के साथ निपटाया जाएगा।

(2) जहां विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण का गठन नहीं किया गया है, वहां कुलपति ऐसे प्राधिकरण के सभी या किन्हीं कार्यों का निर्वहन कर सकते हैं और उस प्रयोजन के लिए ऐसे प्राधिकरण के गठन तक ऐसे प्राधिकरण का उपयोग और कुलपति अपनी अगली पहली बैठक में संबंधित अधिकारियों को अस्थायी अधिकारों के तहत किसी भी कार्रवाई की रिपोर्ट करेंगे।

(3) इन संविधियों के अपवाद कुलपति द्वारा लिए जा सकते हैं: बशर्ते कि ऐसे अपवाद अधिनियम या शासी निकाय या कार्यकारी परिषद या अकादमिक परिषद के अन्य निर्णय के साथ असंगत नहीं हैं।

59. **अध्यादेश** - (1) अध्यादेश अधिनियम की धारा 38 और 39 के प्रावधानों के अनुसार बनाए जा सकते हैं और किसी भी समय तदनुसार संशोधित, निरस्त या जोड़े जा सकते हैं।

(2) शासी निकाय के पास कार्यकारी परिषद द्वारा प्रस्तावित किसी भी अध्यादेश के किसी भी मसौदे को संशोधित करने की शक्ति होगी और प्रस्ताव को अस्वीकार कर सकता है या किसी भी संशोधन के साथ, पूर्ण या आंशिक रूप से पुनर्विचार के लिए कार्यकारी परिषद को शासी निकाय के सुझाव के साथ मसौदा वापस कर सकता है।

(3) जहां शासी निकाय ने कार्यकारी परिषद द्वारा प्रस्तावित अध्यादेशों के मसौदे को अस्वीकार कर दिया है या वापस कर दिया है, कार्यकारी परिषद प्रश्न पर नए सिरे से विचार कर सकती है और यदि मूल मसौदे की दो-तिहाई से कम के बहुमत द्वारा पुन: पुष्टि की जाती है। उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्य और कार्यकारी परिषद के सदस्यों की कुल संख्या के आधे से अधिक, मसौदा शासी निकाय को वापस भेजा जा सकता है जो या तो इसे स्वीकार करेंगे या इसे अस्वीकार कर देंगे और शासी निकाय का निर्णय अंतिम होगा।

(4) इस प्रकार बनाया गया प्रत्येक अध्यादेश अधिनियम की धारा 51 के प्रयोजनों के लिए उसके अंगीकरण की तारीख से दो सप्ताह के भीतर केंद्र सरकार को प्रस्तुत किया जाएगा:

बशर्ते कि केंद्र सरकार, अधिनियम और इन संविधियों के उद्देश्य और उद्देश्य पर विचार करते हुए और अधिनियम की धारा 49 के तहत अधिकारों का प्रयोग करते हुए, अध्यादेश की प्राप्ति के चार सप्ताह के भीतर विश्वविद्यालय को ऐसे किसी भी संचालन को निलंबित करने का निर्देश दे सकती है, और जितनी जल्दी हो सके, शासी निकाय को प्रस्तावित अध्यादेश पर अपनी आपत्ति के बारे में सूचित करें:

परन्तु यह और कि केन्द्रीय सरकार, विश्वविद्यालय की टिप्पणियां प्राप्त करने के बाद, या तो अध्यादेशों को निलंबित करने वाले ऐसे निर्देश को वापस ले सकती है या अध्यादेशों को अस्वीकार कर सकती है, और ऐसा निर्णय अंतिम होगा।

60. **पूर्वा छात्र संघ** – (1) विश्वविद्यालय के लिए एक पूर्व छात्र संघ होगा।

(2) पूर्व छात्र संघ की सदस्यता के लिए सदस्यता अध्यादेशों द्वारा निर्धारित की जाएगी।

(3) पूर्व छात्र संघ का कोई भी सदस्य वोट देने या चुनाव में खड़े होने का तब तक हकदार नहीं होगा जब तक कि वह चुनाव की तारीख से कम से कम एक वर्ष पहले एसोसिएशन का सदस्य न हो और कम से कम पांच साल की विश्वविद्यालय का डिग्री धारक न हो:

बशर्ते एक वर्ष की सदस्यता पूर्ण होने की शर्त प्रथम निर्वाचन की दशा में लागू नहीं होगी।

61. **सामान्य** -प्राधिकारियों को संविधि, अध्यादेशों, दिशानिर्देशों या ऐसे अन्य मामलों को अधिनियमित और कार्यान्वित करते समय, उत्कृष्ट शैक्षणिक, अनुसंधान, प्रशिक्षण और विस्तार पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने और प्रयास करने के उद्देश्य से केंद्र और राज्य सरकारों और संबंधित विभागों और संगठनों के लिए आंतरिक सुरक्षा और पुलिस के क्षेत्र में विश्वविद्यालय के प्रयोजन और उद्देश्य पर उचित ध्यान देना चाहिए।

प्रोफेसर डॉ. बिमल एन. पटेल, कुलपति

[विज्ञापन-III/4/असा./648/2021-22]

RASHTRIYA RAKSHA UNIVERSITY

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th February, 2022

F. No. RRU/URO/Statute/2022/001(E).—In exercise of the powers conferred by section 36 read with sub-section (1) of section 37 of the Rashtriya Raksha University Act, 2020 (31 of 2020), the Governing Body, with the prior approval of the Central Government, hereby makes the following First Statutes, namely: -

1. **Short title and commencement.** – (1) These Statues may be called the First Statutes of the Rashtriya Raksha University, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.** – (1) In these First Statutes, unless the context otherwise requires,-

(a) "Act" means the Rashtriya Raksha University Act, 2020, (31 of 2020);

(b) "Chairperson" means the Chairperson of the Governing Body appointed under sub-section (3) of the Act; and

(c) "Director" means the Director or Head of the School appointed in the manner as laid down in these Statutes.

(2) Words and expression used in these First Statutes and not defined but defined in the Act, shall have the same meanings, as respectively, assigned to them in the Act.

3. **Powers and functions of the Governing Body.** – (1) Subject to the provisions of the Act, the Governing body may, -

(a) lay down the provisions for pension, provident fund and medical benefits, insurance, leave travel concession, leave rules and other employment benefits for the officers, teachers and other staff as per the Central Government norms as amended from time to time, at par with other similarly placed Institutions of National Importance and in accordance with the applicable regulations of the University Grants Commission;

(b) establish campuses and centers in India and abroad;

(c) establish Schools, departments and centres;

(d) affiliate colleges or institutions and recognised training centres in relevant fields;

(e) create posts, subject to Central Government orders issued from time to time;

(f) lay down the courses of study for all degrees, diplomas and certificates of the University;

(g) grant academic awards such as degrees, diplomas, certificates and other distinctions;

(h) award fellowships, scholarships, studentships, medals, prizes and prescription of the conditions thereof;

(i) promote interdisciplinary research by making joint appointments of academic staff in different Schools, departments and centers;

(j) make guidelines and policy regarding fee structure to be charged for courses of study and for admission to the examinations, degrees, diplomas and certificates of the University;

(k) transfer or accept transfer of any movable or immovable property on behalf of the University, subject to the provisions of sub-section (2) of section 7 of the Act;

(l) provide buildings, premises, furniture, apparatus and other means needed for carrying out the work of the University;

(m) enter into, vary, carry out and cancel contracts on behalf of the University;

(n) entertain, adjudicate upon and, if thought fit, redress any grievances of the employees and students of the University who may for any reason feel aggrieved;

24.1.23.

(o) select a common seal for the University and provide for the custody and use of such seal;

(p) appoint Visiting Professors, Emeritus Professors, Chairs and Consultants and determine the terms and conditions of such appointments;

(q) enter into partnership with industry and other non-government agencies for the advancement of knowledge;

(r) appoint the Pro-Vice Chancellor, Registrar, Finance Officer and Academic Staff in the post of Assistant Professor and above and appoint all non-academic staff in any post equivalent to Group 'A' and above;

(s) delegate any of its powers to any officer of the Authority or Committee of the University, except powers to create posts, to the Vice-Chancellor, Pro Vice-Chancellor, Dean, Registrar or any authority of the University or to a Committee or to any other Officer or employee of the University, as it may deem fit, through a separate resolution of the Governing Body:

Provided that any decisions taken by such Officer or the Authority or Committee, in exercise of such delegated powers, shall be placed before the Governing Body at its next meeting.

(2) Notwithstanding anything contained in clause (1), the Governing Body shall also exercise all other powers and functions, as may be provided by Ordinances, but no such Ordinances shall be made affecting the condition of residence, health, discipline, admission, enrollment of students, mode of appointments, duties of examiners, conduct of and standard of examination or any course of study without consulting the Academic Council.

4. Executive Council. – (1)There shall be the Executive Council consisting of a maximum of twelve members as under-

(a) Vice-Chancellor, Chairperson,*ex-officio*;

(b) one representative of the Ministry of Home Affairs, not below the rank of Deputy Secretary, Member,*ex-officio*;

(c) one representative from any Central University not below the rank of Vice Chancellor or any other Institutions of National Importance (INI) not below the rank of the Director of the INI;

(d) one representative from industry or corporate organisation dealing with security, security research and development or manufacturing in the area of security, not below the rank of a Board Director;

(e) one representative from Central Armed Police Forces, not below the rank of Inspector-General, to be nominated by the Ministry of Home Affairs, Government of India;

(f) one representative of the Bureau of Police Research and Development, not below the rank of Inspector-General; *ex-officio;*

(g) Pro Vice-Chancellor, Member,*ex-officio;*

(h) Dean, Member, *ex*-officio;

(i) one Director of School on a rotation basis nominated by the Vice-Chancellor from the Schools of the University- Member, *ex-officio;* and

(j) three Governing Body members to be nominated by the Governing Body including one representative member of the Government of Gujarat referred to in clause (e) of sub-section (2) of section 13 of the Act.

(2) The Vice-Chancellor shall recommend, for consideration of the Governing Body, a panel of three names each, for nomination of representative of Central University or Institutions of National Importance and the representative of Industry or Corporate organisation.

(3) The term of office of members of the Executive Council, except for *ex-officio* members, shall be for three years and may be renewed by another term of three years by the Governing Body.

(4) A member of the Executive Council may, by writing to the Vice –Chancellor, resign from his

office, and such resignation shall take effect on the date it is accepted by the Vice-Chancellor.

5. **Meeting of the Executive Council.** – (a) The Executive Council shall meet not less than two times in an academic year.

(b) Meetings of the Executive Council shall ordinarily be convened by the Vice-Chancellor either on his motion or on a requisition signed by a minimum of three members of the Executive Council.

(c) In the absence of the Vice-Chancellor, any other member nominated by the Vice Chancellor shall preside over the meeting.

(d) One third of the total strength of members, including the Vice-Chancellor, either through personal presence or video-conference or tele-conference, shall form a quorum for a meeting.

(e) All the matters considered at the meetings of the Executive Council shall be decided by a majority of the votes of the members present and if the votes are equally divided, the Vice-Chancellor shall have the casting vote.

(f) (i) A written notice of the meeting of the Executive Council shall be sent by the Registrar to every member, at least fifteen working days before the date of meeting and the notice shall state the place, date and time of the meeting.

(ii) The notice may be delivered by registered post or fax or email at the address of each member as recorded in the University and, if so sent, shall be deemed to have been delivered.

(g) To consider urgent matters, the Vice-Chancellor may either call a meeting of the Executive Council at short notice or have the matter considered through circulation.

(h) The agenda for the meeting shall be circulated by the Registrar to the members at least seven working days before the meeting:

Provided that, in case of any emergent matter, which is not included in the agenda, it may be taken up for consideration with the approval of the Chairperson.

(i) The decision of the Vice-Chancellor in regard to all matters relating to the procedure for conduct of the meeting shall be final.

(j) The minutes of the proceedings of a meeting shall be drawn by the Registrar with the approval of the Chairperson and circulated to all members, preferably within a period of seven working days, seeking their comments and if no comments are received within ten days of the receipt of the minutes, the same shall be deemed as final.

(k) The minutes shall contain names of the members present in the meeting and names of members, if any, dissenting from, or not concurring with the resolutions along with the grounds of such dissent.

(l) The Chairperson may, after taking into account any comments received thereon, confirm and sign the minutes.

6. **Powers and functions of the Executive Council. – (1).** Subject to the provisions in the Act, the Executive Council shall have the following powers and functions, namely: -

(i) to recommend to the Governing Body, respective, panels for appointment of Librarian, Professors, Associate Professors, Assistant Professors and other members of the teaching and non-teaching staff in accordance with applicable regulations of the University Grant Commission and these Statues, on the recommendations of the Selection Committee:

Provided that the Executive Council shall not forward its recommendations to the Governing Body for appointment of teachers without considering the recommendation of the Academic Council with regard to the numbers, qualifications and emoluments:

Provided further that, in any case, the number of supernumerary posts shall not exceed five percent of the total posts in the University.

(ii) to recommend to the Governing Body for creation of non-academic posts, the number and emoluments and mode of recruitment for such posts in accordance with applicable regulations of the University Grants Commission and these Statutes;

(iii) to recommend to the Governing Body the cadres, methods of recruitment and conditions of service of employees, institution of scholarships and fellowships, levying of fees and other matters of common interest in the manner as may be laid down in the Ordinance;

(iv) to manage and regulate the finance, accounts, investments, property, business and all other administrative affairs of the University in accordance with the procedure approved by the Governing Body;

(v) to invest any money belonging to the Fund of the University, including any surplus funds, in such stock, funds, shares or securities, as may be decided with the approval of the Central Government;

(vi) to exercise such other powers and to perform such other duties as may be conferred or imposed on it by or under these Statute or on Ordinance and the changes that may be effected from time to time, with the approval of the Governing Body;

(vii) to recommend to the Governing Body proposal for new or revised academic programmes and courses and to oversee their functioning;

(viii) subject to delegation of power by the Governing Body, the Executive Council may constitute sub-committees, appoint their members and set their powers that shall not be equal or exceed the powers of the Executive Council as a whole;

(ix) to recommend to the Governing Body establishment of new Institutes, Schools, Departments, Institutions of higher learning, affiliation of new college, research and specialised studies, knowledge resource centre, academic services units, Libraries, Laboratories and Museums, etc., in the University;

(x) to recommend to the Governing Body, Ordinances specifying policy and guidelines for recognition of an institution as affiliated college;

(xi) to recommend to the Governing Body, policy and infrastructural initiatives that have a bearing on the academic, research, training, innovation, incubation, public-private partnership profile of the University;

(2) Notwithstanding contained in clause (1), in emergent cases, the Vice-Chancellor may exercise the powers of the Executive Council and report the decisions taken at the next meeting of the Executive Council for ratification.

7. **Meetings of the Academic Council. – (1)** The Academic Council shall meet not less than twice in an academic year.

(2) Meetings of the Academic Council shall ordinarily be convened by the Vice-Chancellor either on his motion or on a requisition signed by a minimum of three members of the Academic Council.

(3) The Vice-Chancellor, or in his absence, any member of the Academic Council nominated by the Vice Chancellor shall preside over the meeting of the Academic Council.

(4) If any urgent action is required, the Vice-Chancellor may, with the approval of the majority of the members of the Academic Council, permit the business to be transacted by circulation among the members of the Academic Council.

(5) (i) A written notice of the meeting shall be sent by the Registrar to every member, at least fifteen working days before the date of the meeting and the notice shall state the place, date and time of the meeting.

(ii) The notice may be delivered by registered post or fax or email at the address of each member as recorded in the University and, if so sent, shall be deemed to have been delivered.

(6) One third of the total strength of the appointed members, including the Vice-Chancellor or his nominee, either through personal presence or video conference or teleconference, shall form the quorum for a meeting.

(7) Notwithstanding anything contained hereinabove, to consider urgent matters, the Vice-Chancellor may call a meeting of the Academic Council at a short notice or have the matter considered by circulation and the decision of the Vice-Chancellor in regard to all matters relating to the procedure for conduct of meeting shall be final.

(8) The minutes of the proceedings of a meeting shall be drawn by the Registrar with the approval of the Chairperson and circulated to all members, preferably within a period of seven working days, seeking their comments and if no comments are received within ten days of the receipt of the minutes, the same shall be deemed as final.

(9) The minutes shall contain names of the members present in the meeting and names of the members dissenting from or not concurring with the resolutions along with the grounds of such dissent.

(10) The Chairperson may, after taking into account any comments received thereon, confirm and sign the minutes.

8. Powers and Functions of the Academic Council. - Subject to the provisions of the Act, the Academic Council shall have the following powers and duties, namely:-

(1) to report on any matter referred to or delegated to it by the Governing Body or the Executive Council;

(2) to specify the academic policies of the University and shall be responsible for maintenance and improvement of standards of instruction, education and evaluation in the University;

(3) to consider matters of general academic interest either on its own initiatives or on a reference from the faculty of the University or the Governing Body and to take appropriate action thereon;

(4) to make recommendations to the Executive Council with regard to the creation, abolition or classification of academic and non-academic posts in the University and qualifications, emoluments and the duties attached thereto;

(5) to sanction academic programmes and courses, approve their contents and any changes thereof and oversee their conduct;

(6) to formulate, modify or revise schemes for the organisation of the faculties, schools, centres or specialised institutes, and to assign to them their respective subjects and to give its recommendation to the Executive Council to abolish or to alter or merge any faculty, school, centre or specialised institute and for placing the matter before the Governing Body for a final decision;

(7) to propose to the Executive Council, Ordinances for merit based, reasonable admission criteria and to ensure its implementation;

(8) to propose to the Executive Council, the constitution of Examination Committee of the University;

(9) to make arrangements by Ordinances for the mode of instruction and examination of persons other than those enrolled in the University;

(10) to promote research and to require reports on such research;

(11) to determine the policy for recognising diplomas and degrees of other Universities and institutions and to determine their equivalence in relation to the diplomas and degrees of the University;

(12) to make recommendations to the Executive Council in regard to the appointment of examiners and process of appointment, fixation of their fees, emoluments and travelling and other expenses;

(13) to make arrangements for the conduct of examinations and to fix dates for holding such examinations;

(14) to declare the results of examinations, or to appoint committees or officers for declaration of such result, and to make recommendations regarding the conferment or grant of degrees, honours, diplomas, certificates, titles and marks of honour; and

(15) to perform, in relation to academic, research, extension and training matters, all such duties and to do all such acts as may be necessary for carrying out the provisions of the Act and these Statutes.

9. Constitution and Meeting of the Finance Committee.– (1) The constitution of the Finance Committee shall be as under-

(a) Vice-Chancellor, Chairperson, *ex-officio*;

(b) Finance Officer, Member, *ex-officio*;

(c) one representative of Internal Finance Division, Ministry of Home Affairs, not below the rank of Deputy Secretary, Member, *ex-officio*;

(d) one member from the Governing Body nominated by the Governing Body, Member;

(e) one Finance Officer or equivalent from a premier Central University or Institute, as may be nominated by the Vice- Chancellor, Member; and

(f) Secretary, Roads and Building Department, Government of Gujarat or his nominee holding the post not below the rank of Joint Secretary, Member, *ex-officio;*

(g) Dean or any Professor nominated by the Vice-Chancellor, Member.

(2) The Finance Committee shall meet not less than twice in an academic year.

(3) The Meeting of the Finance Committee may be convened by the Chairperson either on his motion or at the request of the Finance Officer or on a requisition signed by not less than three members of the Committee:

Provided that the Vice-Chancellor may call a meeting of the Committee at short notice to consider urgent matters.

(4) Three members including, at least, one such member who is not the employee of the University, shall constitute quorum for a meeting.

(5) The decision of the Vice-Chancellor in regard to all matters relating to procedure for conduct of meetings shall be final.

(6) (i) The minutes of the proceedings of a meeting of the Finance Committee shall be prepared by the Finance Officer and circulated to all the members of the Committee.

(ii) After the minutes are confirmed, the minutes shall be signed by the Vice-Chancellor and shall be deemed as resolution of the Finance Committee.

(7) All orders and decisions of the Finance Committee shall be authenticated by the signature of the Finance Officer.

(8) All matters considered at the meetings of the Finance Committee shall be decided by a majority of the votes of the members and if the votes are equally divided, the Vice-Chancellor shall have a casting vote.

10. Powers and Functions of the Finance Committee. - Save as otherwise provided in the Act and these Statute, the Finance Committee shall have following powers and functions, namely:-

(a) to review the financial position of the University, from time to time and apprise the Governing Body, along with its recommendation on proposals for resource mobilisation, receipts and expenditure;

(b) to make recommendation to the Executive Committee for investment of surplus funds;

(c) to make recommendations to the Governing Body on all proposals involving expenditure for which no provision has been made in the budget or for which expenditure in excess of the amount provided in the budget needs to be incurred;

(d) to provide its views and make its recommendations to the Governing Body either *suo moto* or on the advice of the Vice Chancellor on any financial policy or matters relating to the University;

(e) to give recommendation on the delegation of financial powers to be exercised by various authorities of the University, for consideration and approval of the Governing Body;

(f) to examine all proposals relating to creation of posts, revision of pay scales, upgradation of pay and those items which have not been included in the budget before they are considered by the Governing Body and to consider the annual accounts and the financial estimates of the University prepared by the Finance Officer before they are placed before the Governing Body for its consideration;

(g) to have the annual accounts of the University audited as per the provisions of section 32 of the Act; and

(h) to exercise all other powers and perform such other functions as may be conferred on it by the Governing Body or the Statutes or Ordinances.

11. Constitution, Powers and Functions of Building and Works Committee. - (1) There shall be a Building and Works Committee of the University.

(2) The Executive Council may recommend to the Governing Body, constitution of the Building and Works Committee (the Committee) for execution of all major capital works as may be approved by the Governing Body from time to time.

(3) The Building and Works Committee shall have the powers to give the necessary administrative approval and expenditure sanction for execution of works pertaining to building, maintenance and repairs, in a transparent manner, within the grant placed at the disposal of the University for the purpose, in accordance with Central Government orders and guidelines issued from time to time.

(4) The Committee shall cause to prepare cost estimates, duly scrutinised by Government agencies, of buildings and other capital works, minor works, repairs, maintenance, making technical scrutiny, enlistment of suitable contractors and acceptance of tenders and in such matters, it shall be guided by the Central Public Works Department manual and Schedule of Rates and other Government guidelines, as amended from time to time.

(5) The Committee shall settle rates not covered by tender and settle claims and disputes with contractors and shall have the power to give directions for works where necessary.

(6) The Committee shall perform such other functions in the matter of construction of buildings and development of land for the University as the Governing Body may entrust to it from time to time.

12. Tenure of Members of Authorities of University. - (1) A member of any of the Authorities of the University shall cease to be a member if,-

(a) he tenders his resignation and such resignation is accepted;

(b) he becomes of unsound mind and stands so declared by a competent court; or

(c) he becomes un-discharged insolvent or bankrupt; or

(d) he has been convicted of an offence involving moral turpitude;

(e) a conflict of interest has been established.

(2) If any question arises as to whether a person is or has been subjected to any of the status under clause (1), the question shall be referred to the Chairperson of the Governing Body, whose decision shall be final.

(3) Notwithstanding anything contained in these Statutes, a person who holds any post in the University or is a member of any Authority or body of the University in his capacity as a member of such Authority or body or as the holder of a particular appointment, shall hold such office or membership only for such time period till he continues to be the member of that particular authority or body or the holder of that particular appointment, as the case may be.

13. Appointment of Vice Chancellor.-(1) Subject to provisions of section 22 of the Act, the Vice-Chancellor shall be appointed by the Central Government from out of a panel recommended by the Search-cum-Selection Committee constituted by the Central Government under this Statute.

(2) In addition to the qualification laid down in the Act, only such persons who have not completed seventy years of age as on the date of appointment, have no conflict of interest, and have not completed two terms as Vice-Chancellor, shall be considered for appointment as Vice-Chancellor.

(3) The appointment process shall begin at least six months prior to the completion of the tenure of the current incumbent and shall be completed thirty days before the completion of tenure of the current incumbent.

(4) (i) There shall be a Search-cum-Selection Committee, comprising of five eminent persons chosen from amongst the educationists, scientists, administrators, judiciary, technocrats, police and management specialists, to be constituted by the Central Government.

(ii) The Search-cum-Selection Committee shall recommend a panel of three names who possess the qualifications as provided in sub-section (1) of section 22 of the Act on the basis of majority decision of the members present and voting and the quorum for Search-cum-Selection Committee meeting shall be two third of the members of the Committee.

(iii) The panel of names shall be submitted by the Search-cum-Selection Committee to the Home Secretary, Ministry of Home Affairs.

(5) The Vice-Chancellor shall hold office for a term of five years from the date on which he enters upon his office and shall be eligible for re-appointment for further term but not beyond the age of seventy years:

Provided that the Central Government may by order direct the Vice-Chancellor after his term has expired, to continue in office for such period as may be laid down by the Central Government in that order.

14. Salary, entitlements, benefits and other conditions of service of the Vice Chancellor. -(a)The Vice-Chancellor shall be a whole-time salaried officer of the University.

(b) (i) The Vice-Chancellor shall be paid a monthly salary, other allowances, and perks at par with that of Heads of other similarly placed Institutions of National Importance and applicable University Grants Commission regulations, as amended from time to time.

(ii) The Vice-Chancellor shall be entitled to use a residential accommodation without payment of rent, with provisions for furnishing and renewal of furnishing subject to such limits as may be approved by the Governing Body.

(iii) No charge shall fall on the Vice-Chancellor in respect of maintenance of such residence and all the furnishings and fixtures shall be the property of the University.

(c) The Vice-Chancellor shall be eligible for privilege in relation to medical attendance and treatment as per the Central Government norms or other similarly placed Institutes of National Importance, as amended from time to time.

(d) The Vice-Chancellor shall be entitled to such other terminal benefits and allowances as may be fixed by the Governing Body at par with similarly placed Institutions of National Importance and applicable University Grants Commission regulations, as amended from time to time:

Provided that where an employee of the University or a College or an Institution maintained by or affiliated to the University or of any other university or any Institution maintained by or affiliated to such other university is appointed as the Vice-Chancellor, he may be allowed to continue to contribute to any provident fund of which he is a member and the University shall contribute to the account of such person in that provident fund at the same rate at which the person had been contributing immediately before his appointment as the Vice-Chancellor:

Provided further that where such employee had been a member of any pension scheme, the University shall make the necessary contribution to such scheme.

(e) The Vice-Chancellor shall be entitled to travelling allowance at such rate as may be fixed by the Governing Body as per the Central Government norms at par with similarly placed Institutions of

National Importance and applicable University Grants Commission regulations, as amended from time to time.

(f) The Vice-Chancellor shall be entitled to leave on full pay at the rate of thirty days in a calendar year and the leave shall be credited to his account in advance in two half-yearly installments of fifteen days each on the First day of January and July every year:

Provided that if the Vice-Chancellor assumes and relinquishes charge of the office of the Vice-Chancellor during the currency of a half year, the leave shall be credited proportionately at the rate of two and-a- half days for each completed month of service.

(g) In addition to the leave referred to in sub-clause (f), the Vice-Chancellor shall also be entitled to half pay leave at the rate of twenty days for each completed year of service and this half pay leave may also be availed of as commuted leave on full pay on medical certificate:

Provided that if commuted leave is availed, twice the amount of half pay leave shall be debited against half pay leave due.

15. Removal of Vice-Chancellor. - (1) Notwithstanding anything contained in sub-section (1) of section 22of the Act or these Statutes, the Central Government at any time after the Vice-Chancellor has entered upon his office, by order in writing, remove the Vice-Chancellor from the office on the ground of incapacity, misconduct or violation of statutory provisions:

Provided that no such order shall be made unless the Vice-Chancellor has been given a reasonable opportunity of being heard:

Provided further, that the Central Government shall also consult the Chairperson of the Governing Body before making such order:

Provided also that the Central Government may, at any time before making such order, place the Vice-Chancellor under suspension, pending inquiry.

(ii) The special session of the Governing Body to consider the agenda for removal of the Vice-Chancellor shall be convened by the Chairperson on receipt of the Notice to the effect from not less than one third members of the Governing Body.

(iii) (a) The Vice-Chancellor may resign from the post by giving three months' notice to the Governing Body, which shall be forwarded with the recommendation of the Governing Body to the Central Government and shall be deemed to be accepted, if no decision is taken within three months and Vice-Chancellor shall stand relieved on the expiry of the notice period.

(b) The Vice-chancellor may withdraw his resignation at any time during the notice period, if no decision has been taken on the subject:

Provided that, if the Governing Body decides that the Vice-Chancellor may be relieved with immediate effect without completion of the notice period, then the Vice-Chancellor may be relieved by paying the salary for the remaining notice period.

16. Powers and Functions of Vice-Chancellor. - In addition to the powers and functions specified in section 22 of the Act and subject to provisions of these Statutes, the Vice-Chancellor shall have the following powers and functions, namely: -

(1) the Vice-Chancellor shall be the *ex-officio* Chairperson of the Executive Council, the Academic Council, the Finance Committee, the Buildings and Work Committee and shall, preside at the Convocations held for conferring degrees.

(2) the Vice-Chancellor shall be the principal academic and Chief Executive Officer of the University and shall be responsible for the proper administration of the University and for the imparting of instruction and maintenance of discipline therein.

(3) the Vice-Chancellor shall ensure that decisions taken by the Governing Body are implemented;

(4) to delegate any of his powers to any of his subordinates under intimation to the Governing Body;

(5) suspend a member from the meeting of the authority, body, or committee for persisting to obstruct or stall the proceedings or for indulging in behavior unbecoming of a member;

(6) suspend an employee and initiate disciplinary action against him;

(7) ensure that the provisions of the Act, Statutes and Ordinances are fully observed;

(8) permit members of academic, research, extension, training, technical and administrative staff for research, training or for a course of instruction or for any other purpose considered fit by him, within India or abroad, subject to such terms and conditions as may be deemed fit and proper and the same to be reported to the Governing Body;

(9) employ all necessary staff, except casual labour, paid from contingencies and project funds or such other fund available at his disposal;

(10) (a) subject to the budget provisions, Grant-in-Aid guidelines, General Financial Rules, as amended from time to time, and further subject to the powers delegated through issue of a resolution by the Governing Body or by the Executive Council from time to time, the Vice-Chancellor shall have powers to,-

(i) incur expenditure for running the University;

(ii) re-appropriate funds of the University with respect to different items constituting the recurring budget up to fixed limits without involving any recurring liability;

(iii) waive off the recovery of excess payment, if any, subject to the condition that such excess payment is not a result of misrepresentation of the employee;

(iv) write off the irrecoverable losses on the recommendations of the Finance Officer;

(b) any decision taken in exercise of the powers under sub-clause (a) shall be placed before the Governing Body in its next meeting;

(11) the Vice-Chancellor shall have the powers to approve remission or reduction of license fee for building rendered wholly or partially unsuitable;

(12) the Vice-Chancellor shall have powers of a head of department, in the account code, the fundamental and supplementary rules and other rules of the Central Government in so far as they are applicable or may be made applicable to the conduct of the activities of the University;

(13) the Vice-Chancellor shall have powers to approve and sanction expenditures relating to purchases, services contracts such as housekeeping, security, outsourced manpower, and also advance payment to suppliers or other parties;

(14) all contracts for and on behalf of the University, except the one between the University and the Vice-Chancellor, shall, when authorised by a resolution of the Governing Body, Executive Council, Finance Committee or any other authorised Committees, passed in that behalf, be in writing and be expressed to be made in the name of the University and every such contract shall be executed on behalf of the University by the Vice-Chancellor, but the Vice-Chancellor shall not be personally liable in respect of anything under such contract;

(15) the Vice- Chancellor may, during his absence from headquarters, authorise the Pro Vice-Chancellor or the Dean or a senior member of faculty present to discharge the functions as may be required from time to time;

(16) (a) in the event of the occurrence of any vacancy in the office of the Chairperson of Governing Body by reason of death, resignation or otherwise or in the event of the Chairperson being unable to discharge his functions owing to absence, illness or any other cause, the Vice-Chancellor may discharge any or all the functions assigned to the Chairperson under Statutes;

(b) the Vice-Chancellor may invite any person as Special Invitee to the Governing Body, in consultation with the Chairperson of the Governing Body and the Executive Council, the Academic Council, the Finance Committee, the Buildings and Work Committee, for special advise, knowledge or any other matter that may be helpful in the proper discharge of the said body, Council or Committee;

(17) act as the principal liaison officer with the external funding agencies for generating funds for the collaborative and development programs of the University and monitor their proper utilisation;

(18) to be responsible for establishing liaison for fostering and promoting collaboration with other universities, research institutes, colleges and national and international institutions and scientific, industrial and commercial organisations.

17. Pro Vice-Chancellor. - (1) The Pro Vice-Chancellor of the university shall be appointed by the Governing Body on the recommendation of the Executive Council on the emoluments and other conditions of service at par with similarly placed Institutions of National Importance and applicable University Grants Commission regulations, as amended from time to time.

(2) The Pro Vice-Chancellor shall assist the Vice-Chancellor, -

(a) in respect of such matters as may be assigned to him by the Vice-Chancellor from time to time;

(b) shall exercise such powers and perform such functions as may be delegated to him by the Vice-Chancellor; and

(c) In the absence of the Vice-Chancellor, the Pro Vice-Chancellor shall execute the duties and powers of the Vice-Chancellor.

18. Dean. - (1) The Executive Council shall upon the recommendation of the Academic Council, appoint the Dean, from among the Professors and Academic Staff of the University, for performing such duties and functions and on such terms and conditions of service and emoluments as the Executive Council may decide as per applicable University Grants Commission regulations and at par with similarly placed Institutions of National Importance.

(2) The selection of the Dean shall be made by Scrutiny-cum-Screening Committee constituted by the Vice-Chancellor through inviting applications from academic staff of the University to be placed before the Academic Council for its recommendation to the Executive Council.

(3) The Dean shall hold the Office for a term of three-years and the term may be extended for the duration as approved by the Executive Council on recommendation of the Academic Council.

(4) The Dean shall be responsible to ensure academic standards, research, faculty development and other duties as may be assigned by the Vice-Chancellor.

(5) The Dean shall work under the direction and control of the Vice-Chancellor.

19. Appointment of Registrar. – (1) The Registrar of the University shall be appointed by the Governing Body through direct recruitment from the panel recommended by the Selection Committee constituted by the Governing Body for the purpose.

(2) The Registrar shall be appointed initially for a term of five-years and shall be eligible for extension or re-appointment for further term as may be determined by the Governing Body, but not beyond the age of sixty-two years or as per the Central Government norms at par with the similarly placed Institutions of National Importance and the applicable University Grants Commission regulations, as amended from time to time:

Provided that the Governing Body may, direct the Registrar after his term has expired, to continue in office for such period as may be laid down by the Governing Body.

(3) The emoluments, other terms and conditions of service of the Registrar shall be such as may be laid down by the Governing Body as per the Central Government norms at par with similarly placed Institutions of National Importance, and the applicable University Grants Commission regulations, as amended from time to time.

(4) (a) The Registrar shall be entitled to use a residential accommodation without payment of rent, with provisions for furnishing or renewal of furnishing subject to such limits as may be specified by Ordinances.

(b) No charge shall fall on the Registrar in respect of the maintenance of such residence.

(c) All the furnishings and fixtures shall be the property of the University.

(5) The Registrar shall be entitled to leave as admissible to permanent non-academic employees of the University and shall be a member of the University's Provident Fund or Pension or Contributory Provident Fund Scheme as per the Central Government norms at par with the similarly placed Institutions of National Importance,and the applicable University Grants Commission regulations, as amended from time to time:

Provided that where an employee of the University or a College or an Institution maintained by or affiliated to it or of any other university or any Institution maintained by or affiliated to such other university is appointed as the Registrar, he may be allowed to continue to contribute to any provident fund of which he is a member and the University shall contribute to the account of such person in that provident fund at the same rate at which the person had been contributing immediately before his appointment as the Registrar:

Provided further that where such employee had been a member of any pension scheme, the University shall make the necessary contribution to such scheme.

(6) The Registrar shall be eligible for privilege in relation to Medical attendance and treatment as per the Central Government norms at par with the similarly placed Institutions of National Importance, and the applicable University Grants Commission regulations as amended from time to time.

20. Duties and responsibilities of the Registrar. – In addition to sub-sections (2), (3) and (4) of section 24 of the Act and subject to provisions of these statutes, the Registrar shall have the following powers and functions, namely:-

(i) to issue notices for convening meetings of the Governing Body, Executive Council, and Academic Council and of any other Committees constituted by the said authorities;

(ii) to conduct all official correspondence of the Governing Body, Executive Council and Academic Council and of any other Committees constituted by those authorities;

(iii) to supply to Government, copies of the agenda of the meetings of the authorities of the University as soon as they are issued and the minutes of such meetings;

(iv) to represent the University in suits or proceedings by or against the University, sign powers of attorney and verify pleadings or depute his representative for the purpose; and

(v) to perform such other duties as may be specified in the statutes, the Ordinances or Regulations or as may be required from time to time by the Governing Body or Vice-Chancellor.

21. Finance Officer. – (1) The Finance Officer of the University shall be appointed by the Governing Body on the recommendation of the Executive Council, in accordance with the applicable regulations of the University Grants Commission and similarly placed Institutions of National Importance.

(2) The Finance Officer shall be appointed initially for a term of five-years and shall be eligible for extension or re-appointment for further term as may be determined by the Executive Council:

Provided that the Finance Officer shall retire on attaining the age of sixty-two years:

Provided further that the Finance Officer shall notwithstanding his attaining the age of sixty-two years, continue in office until his successor is appointed and enters upon his office or until the expiry of a period of one year, whichever is earlier.

(3) The Finance Officer shall exercise such powers and perform such duties, as may be assigned to him by the Act or the Statutes or Ordinances or by the Vice-Chancellor.

(4) The Finance Officer shall be responsible to the Vice-Chancellor for the proper discharge of his functions.

(5) The emoluments and other terms and conditions of service of the Finance Officer shall be such as may be laid down by the Governing Body as per the applicable University Grants Commission regulations and at par with similarly placed Institutions of National Importance, as amended from time to time.

(6) The Finance Officer shall be the *ex-officio* Secretary of the Finance Committee.

(7) The Finance Officer shall, -

(a) exercise general supervision over the funds of the University and shall advise it as regards its

financial policy; and

(b) perform such other financial functions as may be assigned to him by the Governing Body or as may be laid down by the Ordinances.

(8) Subject to the control of the Governing Body, the Finance Officer shall, -

(a) hold and manage the property and investment of the University including trust and endowed property;

(b) ensure that the limits fixed by the Governing Body for recurring and non-recurring expenditure for a year are not exceeded and that all moneys are expended on the purpose for which they are granted or allotted;

(c) shall be responsible for the preparation and maintenance of accounts and the budget of the University and shall make the presentation before the Governing Body;

(d) keep a constant watch on the state of the cash and bank balance and on the state of investments;

(e) shall be responsible and accountable for parking, investment and internal audit of University funds and expenditures;

(f) watch the progress of the collection of revenue and shall be responsible and accountable for the methods of collection employed;

(g) ensure that the registers of buildings, land, furniture, and equipment are maintained up-to-date and that stock-checking is conducted in regard to equipment and other consumable materials in all offices, special Centres, specialized laboratories, colleges and institutions maintained by the University;

(h) bring to the notice of the Vice-Chancellor unauthorised expenditure and other financial irregularities and suggest disciplinary action against persons at fault; and

(i) call for from any office, centre, laboratory, college, or institution maintained by the University any information or returns that he may consider necessary for the performance of his duties.

(9) When the office of the Finance officer is vacant or when the Finance Officer is by reason of illness, absence, or any other cause, unable to perform the duties of his office, the duties of the office shall be performed by such person as the Vice-Chancellor may appoint for the purpose.

22. Board for Affiliation and Recognition. – (1) The Vice-Chancellor shall nominate the members of the Board for Affiliation and Recognition comprising of the Pro Vice-Chancellor who shall be the Chairperson, Dean, one faculty member appointed by the Vice-Chancellor and Assistant Registrar in-charge of academic affairs.

(2) The Board for Affiliation and Recognition shall submit the report of the proposals to the Vice-Chancellor.

(3) The detailed procedure for Affiliation and Recognition shall be prepared by the Board for Affiliation and Recognition through Ordinances approved by the Governing Body on the recommendation of the Executive Council.

23. Selection Committee for Appointments. – (1) There shall be a Selection Committee constituted by the Governing Body for making recommendations to the Governing Body for appointment to the post of Pro Vice-Chancellor, Registrar, Finance and academic staff in the post of Assistant Professor or above, and for appointment of non-academic staff, in any post equivalent to Group 'A' and above and to the Vice-Chancellor, in any other case.

(2) The Selection Committee shall be constituted as per the Central Government norms as amended from time to time and if required as per the guidelines of similarly placed Institute of National Importance and applicable University Grants Commission regulations, as amended from time to time, with the approval of Governing Body.

(3) The Vice-Chancellor, or in his absence, the Pro Vice-Chancellor or the Dean or a Professor nominated by the Vice-Chancellor, shall convene and preside at the meeting of the Selection Committee:

Provided that the meeting of the Selection Committee shall be fixed after prior consultation with the Vice-Chancellor's nominee and the experts nominated by the Governing Body:

Provided further that the proceedings of the Selection Committee shall not be valid unless, -

(a) where the number of Vice-Chancellor's nominee and the persons nominated by the Governing body is four in all, at least three of them attend the meeting; and

(b) where the number of Vice-Chancellor's nominee and the persons nominated by the Governing Body is three in all, at least two of them attend the meeting.

(4) The constitution and procedure to be followed by the Selection Committee shall be as laid down in the Ordinances.

24. Standing or Special Committees. – (1) An authority of the University may appoint as many standing or special Committees as it may deem fit, consisting of such persons, who are not members of such authority.

(2) A Committee appointed under clause (1) may deal with any subject delegated to it subject to subsequent confirmation by the authority appointing it.

25. Classification of Members of Staff. –The members of staff of the University shall be classified as under-

(1) academic staff shall include Director, Dean, Professor, Associate Professor, Assistant Professor, subject Specialists, and such other academic post as may be decided by the Executive Council upon the recommendation of the Academic Council from time to time;

(2) non-Academic staff shall include Registrar, Deputy Registrars, Assistant Registrars , Finance Officer, Accounts Officer, Internal Auditor, Manager (Facilities), Security Officers, Administrative Officers, Private Secretaries, Executive Assistants, Medical Officers, Engineers, Managers in various areas such as Telephone Exchange, Printing Press, Foreman, Supervisor (Workshop), Mechanic, Horticultural Assistant, Technical Assistant, Physical Training Instructor and such other non- academic posts as may be decided by the Executive Council from time to time.

26. Types of Employment and Human Resource Structure. – (1) Subject to the provisions of the Act, the University shall have the Human Resource Structure in the manner as may be laid down by the Governing Body and offer, as may be required, the following types of employment, namely:-

(i) direct recruitment;

(ii) promotion;

(iii) deputation against regular post, with or without the provision for absorption;

(iv) short term contract appointments, as per the University Ordinances or guidelines issued in accordance with the applicable University Grants Commission regulations and directions and instructions of the Ministry of Education, issued from time to time.

(2) Appointments in respect of any particular teaching or non-teaching post shall be made as per the applicable University Grants Commission regulations and norms for similarly placed Institutes of National Importance, as amended from time to time. Where such norms are not available, the University shall, by Ordinances, frame its own recruitment rules, laying down the qualifications, experience and nature of duties, etc., according to the requirements and compatibility of the post with the approval of the Governing Body.

(3) Recruitment to any regular post in the University shall be made on the recommendations of a duly-constituted Selection Committee, as laid down in these Statutes.

(4) Vacant posts shall be advertised at appropriate time, giving at least one insertion in any of the leading national dailies, one insertion in the Employment News and on the University website with sufficient time for submission of applications.

27. **Special Mode of Appointment.** - (1) The Governing Body may invite a person of high academic distinction and professional attainments to accept a post of Professor or Associate Professor or any other equivalent academic post in the University in the manner, and as per the terms and conditions as laid down in the Ordinances:

Provided that the Governing Body may also create supernumerary post for a specified period for appointment of such persons:

Provided further that the number of supernumerary posts so created shall not exceed five percent of the total posts in the University.

(2) The Governing Body may appoint such academician working in any other university or organisation for undertaking a joint project in accordance with the procedure laid down in the Ordinances.

28. **Appointments and Procedures of Appointment**. – (1) All posts in the University shall be filled in accordance with the procedure laid down in these Statutes and the Ordinances and as may be laid down by the Governing Body from time to time and selection shall be done in a transparent manner and emoluments shall be paid as per the Central Government norms at par with similarly placed Institutions of National Importance and applicable University Grants Commission regulations, as amended from time to time.

(2) Chair Professors, Joint Faculty, Adjunct Faculty, Distinguished Faculty, Honorary Professor, and Visiting Faculty appointments. – (i) The University may create Chair Professorships which may be funded partially or fully from the University's fund.

(ii) The Vice-Chancellor, upon recommendation of the Academic Council, may appoint domain experts or specialists from India and abroad on terms and conditions as recommended by the Search-cum-Selection Committee constituted by the Academic Council and shall report the same to the Governing Body at its next meeting.

(3) The University may make appointment on deputation, loan, lien or joint appointments of teaching, non-teaching or such other personnel, required to realise the object and purpose of the University, within or outside the country or government department of Central Government or any State Government, for teaching, research, extension, administration or training on such emoluments, terms and conditions as may be recommended by the Search-cum-Selection Committee and approved by the Governing Body in each case, as per the applicable University Grants Commission regulations and at par with similarly placed Institutions of National Importance.

(4) The Vice-Chancellor in consultation with the Academic Council may from time to time appoint honorary, distinguished, adjunct faculty and visiting faculty at different levels keeping in view the needs of the University and the availability of such persons as are considered necessary.

29. **Terms and condition of service and code of conduct of the academic staff**. – (1) All the academic staff of the University shall, in the absence of any agreement to the contrary, be governed, *mutatis mutandis* by the terms and conditions of service and code of conduct, terminal benefits, retirement age etc., as per the Central Government norms and at par with similarly placed Institutions of National Importance, and the applicable University Grants Commission regulations as amended from time to time.

(2) Emoluments, medical, leave rules, leave travel concession, terminal benefits, allowances and other benefits of members of the academic staff and other terms and conditions of their service shall be laid down in the Ordinances as per the Central Government norms at par with similarly placed Institutions of National Importance, and the applicable University Grants Commission regulations as amended from time to time.

30. **Terms and conditions of service and code of conduct of the non-academic employees**. –(1) All the employees of the University, other than the academic staff of the University, shall, in the absence of any contract to the contrary, *mutatis mutandis*, be governed by the service rules applicable to the Central Government employees till terms and conditions of service and code of conduct are specified in the Ordinances as per the Central Government norms at par with similarly placed Institutions of National Importance and the applicable University Grants Commission regulations, as amended from time to time.

(2) Emoluments, medical, leave rules, leave travel concession, terminal benefits, allowances, and other terms and conditions of service of all non-academic staff of the University, shall be laid down in the

Ordinances as per the Central Government norms at par with similarly placed Institutions of National Importance and the applicable University Grants Commission regulations, as amended from time to time.

31. Benefits and facilities for the employees. – (1)The various benefits and facilities shall be available to the eligible employees as may be mentioned in the letter of appointment and the nature of such appointment held by them, as provided in the Ordinances.

(2) Every employee of the University shall be entitled to vacation, leave, leave travel concession and other benefits, *mutatis mutandis* under the leave rules specified by the applicable University Grants Commission regulations and the Government of India, as the case may be, at par with similarly placed Institutions of National Importance, as amended from time to time.

(3) When an employee joins the University from any of the other Institutes or Central University or State University or any other Organisation of the Central or State Government, the leave to his credit on the date immediately before the date of such joining shall be carried forward and credited to his leave account in the University, subject to the specific limit of accumulation of leave:

Provided that for this purpose, the Institute or Central University or State University or any other Organisation of the Central or State Government, from which an employee joins the University shall discharge the leave salary liability for such leave to be carried forward.

32. Retirement benefits. –(1) The New Pension Scheme shall be constituted, maintained and administered for the employees of the University, as per the Central Government norms at par with similarly placed Institutions of National Importance and applicable University Grants Commission regulations, as amended from time to time.

(2) The employees of the University shall be covered under such insurance policy as the Governing Body may decide on the recommendation of the Executive Council, from time to time.

33. Travelling and other allowances for statutory bodies. –(1)The members, of the Governing Body, other Authorities of the University and the members of the Committees constituted under the Actor these Statutes or Ordinances or as may be constituted by the Governing Body and other authorities, other than the Government employees and employees of the University, shall be entitled to such travelling allowance and daily allowance for attending the meetings of the authorities and the committees, as laid down by the Governing Body at par with similarly placed Institutions of National Importance, as amended from time to time.

(2) The members of the Governing Body and other Authorities of the University and the Committees, who are Government employees, shall receive travelling allowance and daily allowance from the source from which they draw their salaries at the rates admissible to them and If required by the members, the University shall reimburse the travelling allowance or daily allowance as laid down by the Governing Body from time to time, to the members concerned if they declare that they shall not claim travelling allowance or daily allowance from any other source.

34. Residential Accommodation for staff. – Subject to availability, employees of the University shall be eligible for allotment of accommodation within the campus of the University or outside as per the arrangements made by the University, in accordance with the norms laid down by the Governing Body from time to time.

35. Seniority. – (1) Whenever in accordance with these Statutes any person is to hold an office or be a member of an authority of the University by rotation according to seniority, such seniority shall be determined according to the length of continuous service of such person in his grade and in accordance with such other principle as the Governing Body may from time to time lay down in this regard.

(2) It shall be the duty of Registrar to prepare and maintain, in respect of each class of persons to whom the provisions of these Statutes apply, a complete and up-to-date seniority list in accordance with the provisions of clause (1).

(3) If two or more persons have equal length of continuous service in a particular grade or the relative seniority of any person is otherwise in doubt, the Registrar may, on his own motion or shall at the request of any such person, submit the matter to the Governing Body whose decision thereon shall be final.

(4) For determining the *inter-se* seniority of employees of different categories for specific purposes such as for promotion, the membership of authorities and bodies, residential accommodation, and such other matters, the Executive Council may approve the norms and guidelines from time to time in accordance with the Ordinances approved by the Governing Body in this regard.

36. Conduct Rules. –The employees of the University shall be governed, *mutatis mutandis*, by the Central Civil Services (Conduct) Rules, 1964, as amended from time to time.

37. Removal of employees. – (1)Where, there is an allegation of misconduct against any academic or non-academic staff of the University, the Vice-Chancellor, may, by order, in writing place such member of the academic staff or other employee, as the case may be, under suspension and shall forthwith report to the Governing Body the circumstances in which the order was made:

Provided that the Governing Body may, if it is of the opinion that the circumstances of the case do not warrant the said suspension, revoke such order.

(2) Notwithstanding anything contained in the terms of the contract of appointment or of any other terms and conditions of service of the employees, the Governing Body in respect of academic staff, and the appointing authority, in respect of other employees, shall have the power to remove an academic staff member, or as the case may be, other employee on grounds of misconduct:

Provided that the Governing Body, or as the case may be, the appointing authority shall not be entitled to remove any academic staff member or other employee except for a good cause and after three months' notice or on payment of three months' salary *in lieu* thereof.

(3) No academic staff member or other employee shall be removed under clause (2) unless he has been given reasonable opportunity of being heard.

(4) The removal of an academic staff member or other employee shall take effect from the date on which the order of removal is made:

Provided that where the academic staff member or other employee is under suspension at the time of his removal, such removal shall take effect from the date on which he was placed under suspension.

(5) Notwithstanding anything contained in the foregoing provisions of these Statutes, an academic staff member or other employee may resign, -

(a) If he is a permanent employee, only after giving three months' notice in writing to the Governing Body or the appointing authority, as the case may be, or by paying three months' salary *in lieu* thereof;

(b) If he is not a permanent employee, only after giving three months' notice in writing to the Executive Council or, as the case may be, the appointing authority or by paying three months' salary *in lieu* thereof:

Provided that such resignation shall take effect only on the date on which the resignation is accepted by the Governing Body or the appointing authority, as the case may be.

38. Performance appraisal. –Every academic staff and non-academic staff shall be subjected to annual performance management appraisal system in the manner as laid down in the applicable University Grants Commission regulations and similarly placed Institutions of National Importance, as amended from time to time.

39. All India and Foreign Liability. –An employee of the University shall have all India and Foreign Service obligations.

40. Authentication of orders and decisions of the authorities and legal proceedings.–(1) All orders and decisions of the Authorities shall be authenticated by the signature of the Registrar or any other person authorised by the Governing Body in this behalf.

(2) The Registrar may sue and be sued in the name of the University and in the absence of the Registrar or when authorised by the Vice-Chancellor in this behalf, the Deputy Registrar or the Assistant Registrar or any person so authorised by the Vice-Chancellor, shall represent the University in legal proceedings; shall sign pleadings and other documents and accept processes on behalf of the University in such legal proceedings.

41. Department, schools, centers and other units. – (1) The existing Schools, Centres and Departments at the University are as under -

(a) School of Internal Security and Police Administration;

(b) School of Information Technology, Artificial Intelligence and Cyber Security;

(c) School of Integrated Coastal and Maritime Security Studies;

(d) School of Internal Security, Defense and Strategic Studies;

(e) School of Forensic Science, Risk Management and National Security;

(f) School of Criminology and Behavioural Sciences;

(g) School of International Cooperation, Security and Strategic Languages;

(h) School of Security, Law Enforcement and Criminal Justice;

(i) School of Applied Science, Engineering and Technology;

(j) School of Physical Education and Sports; and

(k) Security and Scientific Technical Research Association.

(2) The University shall have such other Schools of Studies and Departments as may be specified by the Statutes and Ordinances approved by the Governing Body.

(3) The Executive Council may from time to time create, continue, merge, abolish any academic units such as departments, schools, research or other centres, divisions on the recommendation of the Academic Council.

(4) Every school shall have a Board of Studies and the first Board of Studies shall be nominated by the Governing Body and shall hold office for a period of three years.

(5) The powers and functions of the Board of Studies shall be laid down by the Ordinances.

(6) The conduct of the meeting of the Board of Studies and quorum required for such a meeting shall be laid down by the Ordinances.

(7) The functions of the Board of Studies shall be to consider and recommend curriculum, teaching and examination scheme, panel of examiner, measures for improvement of the standard of teaching and research, and other curricular aspects related to the programs offered under the respective schools.

(8) Each school shall consist of such departments as may be assigned to it by the Ordinances.

(9) No School or Department shall be established or abolished or altered except with the approval of the Governing Body.

42. Heads of departments, schools and centres. –(1) (i)Each Department or School or Centre or similar academic, research, extension and training unit shall be placed under the charge of a Head with the title of Director or such other designation commensurate with the functioning of the unit, as determined by the Vice-Chancellor, and who shall be selected and appointed by the Vice-Chancellor from among the Department or School or Centre or similar academic or research unit of the University:

Provided that when in the opinion of the Vice-Chancellor, the situation so demands, the Vice-Chancellor may give Charge of the Director to a teaching or research Staff, of the School.

(ii) The Director shall be responsible for the activities under his charge subject to the direction and general control of the Vice-Chancellor or the Dean as the case may be.

(2) It shall be the duty of the Director to see that the teaching, research, extension, training and development, administrative and other activities and the decisions of the Authorities of the School and of Vice-Chancellor are properly carried out and he shall perform such other duties as may be assigned to him by the Vice-Chancellor.

(3) The Vice-Chancellor may consider to grant allowances, in the overall interests and development of the University, to the Directors of the Schools or Centres through the Executive Council upon the recommendation of the Academic Council.

43. Fellowships, scholarships, assistanceships, medals and prizes. –(1) The Governing Body, may institute from time to time fellowships, scholarships, assistantships, medals and prizes for awarding them to its students at undergraduate, postgraduate, research and post-doctoral and other levels, upon the recommendation of the Academic Council.

(2) The Governing Body shall decide the value, number and conditions of award for each of them from time to time.

44. Admissions. – (1) The University shall admit students in under graduate, post graduate, diploma and other programmes in the constituent schools of its own campuses and its affiliated colleges based on the merit or national level entrance test and in such manner as may be laid down in the Ordinances.

(2) Admission to foreign students. - The University shall admit foreign students, Overseas Citizen of India Card holders, Persons of Indian Origin, non-resident Indians, children of Indian workers in the Gulf and South-East Asian Countries, as per the guidelines of the Government of India and in accordance with the Act and the Statutes.

45. Fees and other charges payable by the students. - (1) The initial policy for fee and other charges payable by the students shall be approved by the Governing Body on the recommendation of the Executive Council and subsequently, Executive Council may as required, make amendments from time to time, and inform the Governing Body in its next meeting.

(2) The students admitted to the various programmes shall pay the programme fees and other fees at the time of first admission and thereafter every academic year or interval for pursuing the programme to which he is admitted, in the manner as may be laid down by the Executive Council as per the policy decided by the Executive Council from time to time.

(3) The Vice-Chancellor shall, with the approval of Academic Council lay down the eligibility and guidelines for administering the Merit-Cum-Means assistance to the meritorious students.

46. Hostels and halls of residence. – The under-graduate students, post-graduate studentsand research scholars may be provided the Halls of Residence and Hostels, on a chargeable basis, built, managed, recognised or otherwise maintained by the University subject to availability, in the manner as may be laid down by the Executive Council from time to time.

47. Conferment of honorary degrees. -All the proposals for the conferment of honorary degrees shall be made by the Academic Council to the Executive Council and shall require the assent of the Governing Body.

48. Withdrawal of degrees. - The Executive Council may by a resolution may recommend to the Governing Body, the withdrawal of any degree or academic distinction conferred on or any certificate or diploma granted, to any person by the University for good and sufficient reason in the manner as may be determined in Ordinances made in this regard:

Provided that no such resolution shall be passed without giving reasonable opportunity of expressing an opinion in writing on the proposed changes, and any opinion so expressed shall be considered by the Governing Body.

49. Promotion of entrepreneurial, start up, incubation initiatives. – (1) The University shall promote faculty and students' participation in entrepreneurial, innovation, start-up, incubation and public-private partnerships programs and activities.

(2) The University may, with the approval of the Governing Body, frame suitable guidelines providing flexibility for such promotional entrepreneurial, innovation, start-up, incubation activities and generate and allocate resources for the creation, development and maintenance of the same and raise funds from public or private institutions or organisations.

(3) The Executive Council may lay down suitable norms and guidelines for establishing entities to promote excellence in Academic, Research, Incubation and Start-up, subject to the approval of the Governing Body:

Provided that funds allocated under Government of India grants shall not be used for those entities.

50. Knowledge resources and management. - The University may provide for creation of suitable facilities for Knowledge, Resources and Management purposes to cater to the needs of the academic staff, students, researchers, trainers and other persons engaged in academic, management and administrative pursuits including the process of Technology Enhanced Learning Programmes, through contemporary means and methods in electronic and print form or in the manner as may be approved by the Governing Body.

51. Resource mobilisation, corpus and endowment funds. – (1) Subject to the provisions of section 31 of the Act, the University may raise its own resources from different sources such as training, research, extension, consultation, donations, fellowships, chairs, continuing education, distance education, and such other activities and programs so that some of its additional needs may be met from such resources.

(2) The University shall actively pursue resource mobilization from the departments and agencies of the Central or State Governments and such other public or private organisations, in accordance with the object and purpose of the University, and aim to become and remain self-sustainable for its academic and research programmes.

52. Continuing education programmes. –(1)The Executive Council, upon the recommendation of the Academic Council, may lay down suitable structures and procedures to offer Continuing Education Programmes by the University.

(2) While developing such programmes, the University shall keep in mind the specific needs, concerns and interests of the organisations and departments of the Central and State Governments so as to enrich the overall knowledge, research and skill base of the personnel in the service of said organisations and departments.

53. Maintenance of discipline among students of the university. – (1)All powers relating to discipline and disciplinary action in regard to students of the University shall vest in the Vice-Chancellor.

(2) Without prejudice to the generality of his powers relating to the maintenance of discipline and taking such action, as may deem to him appropriate for the maintenance of discipline, the Vice-Chancellor may, in exercise of his powers, by order, direct that any student or students be expelled, or rusticated, for a specified period, or be not admitted to a course or courses of study in a School, College or Department of the University for a stated period, or be punished with fine for an amount to be specified in the order, or be debarred from taking an examination or examinations conducted by the University, College, Institution or Department or a School for one or more years, or that the results of the student or students concerned in the examination or examinations in which he has appeared be cancelled.

(3) The Directors of Schools of Studies and Principals of affiliated Colleges in the University shall have the authority to exercise all such disciplinary powers over the students in their respective School, Colleges, and Departments.

(4) At the time of admission, every student shall be required to sign a declaration to the effect that he submits himself to the disciplinary jurisdiction of the Vice-Chancellor and other authorities of the University.

54. Maintenance of discipline among students of affiliated colleges. - All powers relating to discipline and disciplinary action in regard to students of an affiliated College not maintained by the University, shall vest in the Vice-Chancellor, in accordance with the procedure laid down by the Ordinances.

55. Convocations. –The Convocation of the University for conferring of degrees or for other purposes shall be held in such manner as may be laid down by the Ordinances.

56. Interpretation of the statutes. -The decision of the Governing Body on all questions relating to the interpretation of these First Statutes and the provisions therein shall be final.

57. Delegation of powers. -The authorities or officers of the University may delegate their powers to any subordinate authorities or officers of the University in any manner as may deemed fit by such authorities or officers of the University and actions taken in exercise of such delegated powers shall be brought to the notice of such authorities or officers by the said subordinate authorities or offices at the earliest.

58. Provisions not covered within the Statutes. – (1) Any matter which is not covered within these Statues shall be dealt by the Governing Body, the Executive Council, the Academic Council, the Finance Committee, or as the case may be by the Vice-Chancellor of the University in accordance with the powers vested in such authorities by virtue of the Act.

(2) Where any authority of the University is not constituted, the Vice-Chancellor may discharge all or any of the functions of such authority and, for that purpose may exercise any power of such authority till such authority is constituted and the Vice-Chancellor shall report any actions under the transitory powers to the concerned authorities at its next first meeting.

(3) Exceptions to these Statutes may be made by the Vice-Chancellor:

Provided that such exceptions are not inconsistent with the Act or other decision of the Governing Body or of the Executive Council or of the Academic Council.

59. Ordinances. - (1) The Ordinances may be made in accordance with the provision of sections 38 and 39 of the Act and may be amended, repealed or added to accordingly, at any time.

(2) The Governing Body shall have powers to amend any draft of any Ordinances proposed by the Executive Council and may reject the proposal or return the draft to the Executive Council for reconsideration, either in whole or in part, together with any amendment which the Governing Body may suggest.

(3) Where the Governing Body has rejected or returned the draft of an Ordinances proposed by the Executive Council, the Executive Council may consider the question afresh and in case the original draft is reaffirmed by a majority of not less than two-third of the members present and voting and more than half the total number of members of the Executive Council, the draft may be sent back to the Governing Body which shall either adopt it or reject it and the decision of the Governing Body shall be final.

(4) Every Ordinances so made shall be submitted to the Central Government for the purposes of section 51 of the Act within two weeks from the date of its adoption:

Provided that the Central Government may, considering the purpose and objective of the Act and these Statutes and in exercise of the powers under section 49 of the Act, direct the University within four weeks of the receipt of the Ordinances to suspend the operation of any such Ordinance and as soon as possible, inform the Governing Body about its objection to the proposed Ordinance:

Provided further that the Central Government may, after receiving the comments of the University, either withdraw such direction suspending the Ordinances or disallow the Ordinances, and such decision shall be final.

60. Alumni association. – (1) There shall be an Alumni Association for the University.

(2) The subscription for membership of the Alumni Association shall be laid down by the Ordinances.

(3) No member of the Alumni Association shall be entitled to vote or stand for election unless he has been a member of the Association for at least one year prior to the date of the election and is a degree holder of the University with at least five years standing:

Provided that the condition relating to the completion of one year's membership shall not apply in the case of the first election.

61. General. -The authorities, while enacting and implementing Statutes, Ordinances, guidelines or such other matters, shall give due consideration to the objective and purpose of the University with an aim to promote and strive for excellent academic, research, training and extension eco-system in the field of internal security and police for the Central and State Governments and concerned departments and organisations.

Prof. Dr. BIMAL N. PATEL, Vice-Chancellor

[ADVT.-III/4/Exty./648/2021-22]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SURENDER MAHADASAM Digitally signed by SURENDER MAHADASAM Date: 2022.02.22 12:41:29 +05'30'